UPEW010005732018

न्यायालय विशेष न्यायाधीश एस.सी./एस.टी(पी0 ए 0)एक्ट/ अपर सत्र न्यायाधीश कोर्ट सं.2, इटावा।

पीठासीन अधिकारी संजय कुमार–IV, उच्चतर न्यायिक सेवा ।

JO Code No. UP 6462

विशेष सत्र वाद संख्या–09/2018

राज्य प्रति रिंकू उर्फ बिग्रेडियर यादव पुत्र स्व.कायम सिंह
निवासी ग्राम नगला नरिया, जसवन्तनगर, इटावा।
मु.अ.संख्या 874/2017
धारा–302, 323 भा.दं.सं. व धारा 3(2)(v)
अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति(अत्याचार निवारण)अधिनियम।
थाना जसवन्तनगर, जिला इटावा।

एवं

UPEW010003672018

विशेष सत्र वाद संख्या 08/2018

राज्य प्रति रिंकू उर्फ बिग्रेडियर यादव पुत्र स्व.कायम सिंह
निवासी ग्राम नगला नरिया, जसवन्तनगर, इटावा।
मु.अ.संख्या 879/2017
धारा 3/25 आयुध अधिनियम।
थाना जसवन्तनगर, जिला इटावा।

निर्णय

1. उपरोक्त विशेष सत्र वाद संख्या 09/2018 एवं विशेष सत्र वाद संख्या 08/2018 का विचारण थाना जसवन्तनगर, जनपद इटावा की पुलिस द्वारा मुकदमा अपराध संख्या 874/2017 एवं मुकदमा अपराध संख्या 879/2017 में अभियुक्त रिंकू उर्फ बिग्रेडियर के विरुद्ध क्रमशः धारा–302, 323 भा.दं.संहिता व धारा 3(2)(v)अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति(अत्याचार निवारण)

Digitally signed by SANJAY KUMAR
Date: 2026.04.20 17:50:27 IST
Reason: Document Owner
Location: District and Sessions Court

अधिनियम व धारा 3/25 आयुध अधिनियम के अन्तर्गत प्रेषित आरोप पत्रों के आधार पर किया गया है।

2. यहां यह उल्लेखनीय है कि न्यायालय के आदेश दिनांक 13.02.2019 को अभियोजन की ओर से प्रस्तुत प्रार्थना पत्र 18 ख, जो सत्र परीक्षण संख्या 09/18 को मूल पत्रावली बनाने एवं सत्र परीक्षण संख्या 08/18 को सम्बन्धित पत्रावली बनाये जाने के बाबत प्रस्तुत किया गया था,को निस्तारित किया गया तथा उपरोक्त दोनों विशेष सत्र वाद पत्रावलियां एक ही घटना से सम्बन्धित होने के कारण विशेष सत्र वाद संख्या 09/2018 की पत्रावली को लीडिंग पत्रावली तथा विशेष सत्र वाद संख्या 08/18 को सम्बन्धित पत्रावली बनाये जाने का आदेश पारित किया गया। अतः उपरोक्त दोनों विशेष सत्र वाद पत्रावलियों का निस्तारण एक ही निर्णय से किया जा रहा है।

3. विशेष सत्र वाद संख्या 09/2018 में संक्षेप में अभियोजन कथानक इस प्रकार है कि वादी बृजमोहन द्वारा थाना जसवन्तनगर, जिला इटावा में प्रथम सूचना रिपोर्ट इस आशय की पंजीकृत करायी गयी कि दिनांक 27.11.17 को उसके यहां गल्ला लेने वादी के मामा नेत्रपाल पुत्र इतवारीलाल, निवासी ग्राम बहादुरपुर थाना बसरेहर, इटावा व बहनोई रामकुमार पुत्र जाहर सिंह जाटव, निवासी ग्राम अम्बेडकर नगर, थाना सिरसागंज जिला फिरोजाबाद आये थे। शाम करीब दिन डूबते समय लगभग पौने 6 बजे वादी अपने छोटे भाई शिशुपाल व मामा व जीजा के साथ शाम को मुकेश के मकान के सामने गल्ला खरीदने की बात खड़े-खड़े कर रहे थे उसी समय वादी की मां राजकुमारी बुलाने के लिए आयी थी कि इतने में ही पड़ोस का रिंकू उर्फ बिग्रेडियर यादव, जो काफी दबंग किस्म का व्यक्ति है, अपनी मोटर साइकिल से मौके पर आया और उसके भाई शिशुपाल से तम्बाकू लाने के लिए कहा तो भाई ने तम्बाकू लाने से मना कर दिया। इतने में गुस्से में आकर उसके भाई के सिर पर गोली तमंचे से मारकर हत्या कर दी जिससे वादी का भाई शिशुपाल, उम्र करीब 22 साल की मौके पर मृत्यु हो गयी। वादी ने मौके पर रिंकू को पकड़ना चाहा लेकिन नहीं पकड़ पाया। वादी के हाथ पर खरोंच भी आयी है। घटना को मौके पर मौजूद सभी लोगों ने देखा है। फायर होने की आवाज सुनकर गांव व मोहल्ला के लोग आ गये थे। वादी का भाई मृत्यु दशा में मौके पर पड़ा है।

4. वादी मुकदमा द्वारा प्रस्तुत किये गये प्रार्थना पत्र प्रदर्श क-1 के आधार पर अभियुक्त उपरोक्त के विरुद्ध धारा 302, 323 भा.द.सं. व धारा 3(2)(v)अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम, थाना

जसवन्तनगर, जनपद इटावा पर चिक प्रथम सूचना रिपोर्ट प्रदर्श क–2 पंजीकृत की गयी।

5. विवेचक द्वारा दौरान विवेचना घटनास्थल का निरीक्षण कर नक्शा नजरी बनाया गया तथा साक्षीगण के बयान अंकित किये गये और पर्याप्त साक्ष्य होने पर अभियुक्त उपरोक्त के विरुद्ध धारा–302, 323 भा.दं.संहिता व धारा 3(2)(v)अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम के अन्तर्गत आरोप पत्र न्यायालय में प्रेषित किया गया। जिसके परिणाम स्वरूप विशेष सत्र वाद सं0–09/2018 प्रचलित हुआ है।

6. दिनांक 30.11.2017 को उपनिरीक्षक शिव शंकर सिंह द्वारा थाना जसवन्तनगर, जिला इटावा ने इस आशय की प्रथम सूचना रिपोर्ट पंजीकृत करायी गयी कि वादी दिनांक 30.11.2017 को वह मय एस.आई रामवीर सिंह, मय हमराही कां. विनय कुमार के वहवाले रपट नं.29 समय 16.40 बजे थाना हाजा से रवाना होकर देखभाल क्षेत्र व चैकिंग संदिग्ध व्यक्ति व गश्त में मामूर था कि बस स्टेण्ड चौराहे पर गश्त करते हुए पहुँचा कि कुछ ही समय में जरिये मुखविर खास सूचना मिली कि ग्राम नगला नरिया में सोमवार की शाम को हत्या की घटना किया था वह किताब श्री कोल्ड स्टोर के पास सैंफई को जाने वाले रोड पर किसी वाहन के इन्तजार में खड़ा है जल्दी किया जाये तो पकड़ा जा सकता है। मुखविर की सूचना पर यकीन कर मुखविर को साथ लेकर बताये गये स्थान पर पहुँचे तो मुखविर ने इशारा करते हुए बताया कि जो व्यक्ति मोड़ पर सड़क के किनारे खड़ा है वही व्यक्ति हत्या किया है, इशारा करके मुखविर वापस चला गया कि एक बारगी दविश देकर हम हमराही बल की मदद से बताये गये व्यक्ति को आवश्यक बल प्रयोग कर पकड़ लिया तथा पकड़े हुए व्यक्ति से नाम पता पूछते हुए जामातलाशी ली गयी तो उसने अपना नाम रिंकू यादव उर्फ बिग्रेडियर बताया तथा जामातलाशी से पहने पैण्ट की दाहिनी फेंट से एक अदद तमंचा 315 बोर चालू हालत में तथा पैण्ट की दाहिनी जेब एक एक कारतूस खोखा व दो अदद जिन्दा कारतूस 315 बोर पीतल के बरामद हुए। तमंचा व कारतूस पास में रखने का लाइसेंस तलब किया गया तो दिखाने से कासिर रहा। उक्त अभियुक्त को बाद बताने कारण गिरफ्तारी समय करीब 17.35 बजे गिरफ्तार कर हिरासत पुलिस में लिया जाना तथा बरामद तमंचा कारतूस को एक कपड़े में रखकर सिलकर सील सर्वमुहर कर नमूना मोहर बनाया जाना कहा है तथा फर्द मौके पर टार्च की रोशनी में लिख पढ़कर सुनाकर हमराही कर्मचारीगण के अलामात बनाये गये तथा फर्द की प्रति अभियुक्त को दिया जाना कहा है। उपरोक्त फर्द बरामदगी के आधार पर थाना जसवन्तनगर, जिला इटावा में मु0 अ 0 सं0–879/17 अंतर्गत धारा–3/25 आर्म्स

एक्ट अभियुक्त उपरोक्त के विरूद्ध अभियोग पंजीकृत किया गया तथा प्रथम सूचना रिपोर्ट प्रदर्श क–8 तैयार की गयी तथा मुकदमा कायमी की प्रविष्टि सामान्य दैनिकी में की गयी, जिसकी प्रति प्रदर्श क–9 पत्रावली पर संलग्न है। मामले की विवेचना उप निरीक्षक श्री सुरजीत सिंह के सुपुर्द की गयी।

7. विवेचक के द्वारा जिला मजिस्ट्रेट, इटावा से अभियोग चलाये जाने की स्वीकृति प्राप्त कर, मामले की विवेचना की गयी और घटना स्थल का नक्शानजरी प्रदर्श क–12 तैयार किया गया तथा विवेचना के उपरान्त अभियुक्त के विरूद्ध प्रथम दृष्टया मामला पाये जाने पर धारा–3/25 आर्म्स एक्ट के अपराध के विचारण हेतु आरोपपत्र न्यायालय में प्रस्तुत किया गया। जिसके परिणामस्वरूप विशेष सत्र वाद सं0–08/2018 प्रचलित हुआ।

8. दिनांक 27.10.2018 विशेष सत्र वाद सं.(विशेष सत्र परीक्षण) 9/2018 में अभियुक्त रिंकू उर्फ बिगेडियर के विरूद्ध धारा 302, 323 भा.दं.संहिता व धारा 3(2)(V) अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम का आरोप तथा सत्र परीक्षण सं0–08/2018 में अभियुक्त उपरोक्त के विरूद्ध धारा–3/25 आर्म्स एक्ट का आरोप विरचित किये गये हैं। अभियुक्त ने उसके विरुद्ध विरचित आरोपों से इंकार किया और विचारण की मांग की।

9. तदोपरान्त न्यायालय के आदेश दिनांक 13.02.2019 के अनुक्रम में विशेष सत्र वाद संख्या 09/2018 में अभियोजन द्वारा मौखिक साक्ष्य में निम्नलिखित साक्षियों को परीक्षित कराया गया है–

1. पी.डब्लू.1 ब्रजमोहन
2. पी.डब्लू.2 श्रीमती राजकुमारी
3. पी.डब्लू.3 रामकुमार
4. पी.डब्लू.4 कांस्टेबल विनय कुमार
5. पी.डब्लू.5 डा.आकाश श्रीवास्तव
6. पी.डब्लू.6 डा.विकास सचान
7. पी.डब्लू.7 उपनिरीक्षक जय प्रकाश सिंह
8. पी.डब्लू.8 मौजीलाल
9. पी.डब्लू.9 मोहनलाल, सेवानिवृत्त क्षेत्राधिकारी।
10. पी.डब्लू.10 अतुल प्रधान, क्षेत्राधिकारी
11. पी.डब्लू.11 सुरजीत सिंह, उपनिरीक्षक
12. पी.डब्लू.12 शिवशंकर सिंह, निरीक्षक

10. अभियोजन द्वारा अन्य किसी साक्षी को परीक्षित नहीं कराया गया है तथा दस्तावेजी साक्ष्य के रूप में अभियोजन की ओर से निम्नलिखित अभिलेखीय प्रपत्र प्रस्तुत किये गये–

दस्तावेज का नाम	**अंकित प्रदर्श**
तहरीर	प्रदर्श क–1
चिक प्रथम सूचना रिपोर्ट	प्रदर्श क–2
जी.डी.	प्रदर्श क–3
आहत आख्या ब्रजमोहन	प्रदर्श क–4
शव विच्छेदन आख्या शिशुपाल	प्रदर्श क–5
पंचायतनामा	प्रदर्श क–6
प्रतिसार निरीक्षक, पुलिस लाइन इटावा को शव विच्छेदन विषयक प्रार्थना पत्र	प्रदर्श क–7
मुख्य चिकित्साधिकारी, इटावा को शव विच्छेदन विषयक प्रार्थना पत्र	प्रदर्श क–7/1
आरक्षक प्रपत्र(पुलिस फार्म)सं.33	प्रदर्श क–7/2
चालान शव विच्छेदन हेतु प्रपत्र	प्रदर्श क–7/3
चालान नाश	प्रदर्श क–7/4
चिक प्रथम सूचना रिपोर्ट सम्बन्धित अपराध संख्या 879/2017 प्रदर्श क–8	प्रदर्श क–8
जी.डी.सं.37	प्रदर्श क–9
नक्शा नजरी	प्रदर्श क–10
आरोप पत्र	प्रदर्श क–11
नक्शा नजरी बाबत अ.सं.879/2017	प्रदर्श क–12
श्रीमान जिला मजिस्ट्रेट, इटावा का आदेश दि.06.01.18	प्रदर्श क–13
आरोप पत्र संख्या 7/18	प्रदर्श क–14
फर्द बरामदगी आला कत्ल एक अदद तमंचा 315 बोर, दो अदद जिन्दा कारतूस 315 व एक अदद खोखा कारतूस 315 बोर	प्रदर्श क–15
विधि विज्ञान प्रयोगशाला, लखनऊ की आख्या नम्बर 76260	प्रदर्श क–16
विधि विज्ञान प्रयोगशाला, लखनऊ की आख्या नम्बर 76260	प्रदर्श क–17

11. बचाव पक्ष की ओर से किसी भी साक्षी को परीक्षित नहीं कराया गया है

12. अभियुक्त का बयान अन्तर्गत धारा 313 दं.प्र.संहिता अभिलिखित किया गया जिसमें अभियुक्त द्वारा घटनाक्रम को गलत बताया है तथा स्वयं को निर्दोष होना कहा गया है।

13. राज्य की ओर से विशेष लोक अभियोजक एवं अभियुक्त के विद्वान अधिवक्ता के तर्कों को सुना गया तथा पत्रावली पर उपलब्ध समस्त अभिलेखीय एवं मौखिक साक्ष्य का विस्तारपूर्वक परिशीलन किया गया।

14. विशेष लोक अभियोजक द्वारा तर्क प्रस्तुत करते हुए कथन किया गया कि दिनांक 27.11.2017 को समय शाम के 5.45 बजे, स्थान मुकेश के मकान के सामने, वहद ग्राम नगला नरिया, थाना जसवन्तनगर, जिला इटावा में अभियुक्त रिंकू उर्फ बिग्रेडियर ने वादी मुकदमा के भाई शिशुपाल, जो कि अनुसूचित जाति का सदस्य है, अभियुक्त गैर अनसूचित जाति का है, के सिर में तमंचे से गोली मारकर हत्या कर दी एवं वादी ब्रजमोहन को मारपीट कर स्वेच्छया साधारण उपहति कारित की तथा अभियुक्त को मय एक अदद तमंचा 315 बोर व दो अदद जिन्दा कारतूस 315 बोर एवं एक अदद खोखा कारतूस 315 बोर दिनांक 30.11.2017 को पुलिस बल के द्वारा गिरफ्तार किया गया है। अभियुक्त ने धारा 302, 323 भा.द.सं.व धारा 3(2)v अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण)अधिनियम व धारा 3/25 आयुध अधिनियम के अन्तर्गत अपराध कारित किया है। अतः अभियुक्त को आरोपित आरोप में दण्डित किया जाये।

15. अभियुक्त के विद्वान अधिवक्ता द्वारा उपरोक्त तर्क का खण्डन करते हुए कथन किया गया है कि प्रथम सूचना रिपोर्ट एण्टीटाइम है तथा तथ्य के जो साक्षी हैं उनकी साक्ष्य में महत्वपूर्ण विरोधाभास है। अभियुक्त के कब्जे से अभिकथित बरामदगी फर्जी दिखाई गई है। जिस कारण अभियोजन द्वारा प्रस्तुत साक्षीगण की साक्ष्य से अभियुक्त के विरुद्ध आरोपित आरोप युक्तियुक्त संदेह से परे साबित नहीं होता है जिस कारण अभियुक्त दोषमुक्त किये जाने योग्य है।

16. उभय पक्ष द्वारा प्रस्तुत तर्कों का विश्लेषण करने से पूर्व अभियोजन पक्ष द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य का अवलोकन किया जाना आवश्यक है।

17. अभियोजन पक्ष की ओर से अपने केस को सिद्ध करने के लिए कुल 12 साक्षीगण को परीक्षित कराया गया है। पी.डब्लू.1 ब्रजमोहन, जो इस केस का वादी है, ने अपनी मुख्य परीक्षा में सशपथ कथन किया है कि वह जाटव जाति का है। मुल्जिम रिक यादव जाति का है। घटना दिनांक 27.11.2017 को उसके बहनोई व उसके मामा नेत्रपाल गल्ला लेने गांव आये थे। शाम करीब 05.45 बजे उसका छोटा भाई शिशुपाल, उसके मामा नेत्रपाल व उसके बहनोई राम कुमार, मुकेश के मकान के

सामने खड़े–खड़े गल्ला खरीदने की बात कर रहे थे उसी समय उसकी मां राजकुमारी इन सभी को बुलाने आयी थी इतने में ही रिंकू उर्फ विग्रेडियर पुत्र कायम सिंह, निवासी ग्राम जो काफी दवंग किस्म का व्यक्ति है, अपनी मोटर साइकिल से आया। उसके भाई शिशुपाल से तम्बाकू लाने के लिये कहा तो तम्बाकू लाने से मना कर दिया, गुस्से में आकर उसके भाई के सिर पर तमंचे से गोली मारकर हत्या कर दी। जिससे उसके भाई की मौके पर मृत्यु हो गयी। वह मौके पर शोर–गुल सुनकर पहुंचा था। उसने रिंकू को पकड़ना चाहा तो पकड़ नहीं सका। घटनास्थल पर काफी लोग मौजूद थे। जो फायर की आबाज सुनकर आ गये थे। उसने रामौतार से तहरीर लिखवाई थी और उस पर अपने हस्ताक्षर बनाये थे। जो पत्रावली में शामिल कागज सं–5 क है, जिस पर प्रदर्श क–1 डाला गया। थाने में तहरीर उसने उसी दिन दी थी। दरोगा जी मौके पर आये थे। दरोगा जी ने पंचनामा भरकर शव का पोस्टमार्टम कराया था। सी.ओ. साहब ने उसका बयान लिया था तथा घटनास्थल का निरीक्षण उसकी निशानदेही पर हुआ था।

18. पी.डब्लू.2 श्रीमती राजकुमारी ने अपनी मुख्य परीक्षा में सशपथ कथन किया है किवह जाटव जाति की है। वह बृद्ध व कमजोर महिला है। वह अपने बेटे की मृत्यु के बाद काफी परेशान रहती है। उसे घटना का दिनांक याद नहीं है। परन्तु घटना लगभग चार वर्ष से अधिक हो गये हैं। घटना वर्ष 2017 की है। उसके मृतक पुत्र का नाम शिशुपाल था। शिशुपाल अपने भाइयों में सबसे छोटा था। शिशुपाल ही उसकी देखभाल करता था। शिशुपाल को शशिकांत भी कहते थे। यह उसका गांव व घर के नाम है। उसके बेटे की हत्या रिंकू जिसे बिग्रेडियर कहते है, उसने की थी जो उसके गांव का रहने वाला है। वह एक अपराधी प्रवृत्ति का व्यक्ति है उसका बेटा चाट के ठेले पर टिक्की खा रहा था उसी रिंकू ब्रिग्रेडियर भी आ गया था और उसके बेटे से टिक्की खिलाने के लिए कहा था। उसके बेटे ने कहा कि वह गरीब आदमी है उसके पास पैसे ही नहीं है तो उसने कहा कि भोसड़ी के तम्बाकू ले आ जाके। उसके बेटे ने कहा कि वह लेने नहीं जायेगा। तो रिंकू ब्रिग्रेडियर ने अपने पास रक्खे हुए नाजायज कट्टे से यह कहते हुए कि "मुझे रिंकू ब्रिग्रेडियर कहते हैं" और उसके बेटे के गोली मार दी थी। उसका बेटा गोली लगने के बाद गिर पड़ा वहीं उसकी मृत्यु हो गयी थी। वह अपने बेटे से चार पांच कदम की दूरी पर चबूतरे पर बैठी थी। घटना के बाद रिंकू ब्रिग्रेडियर ने अपने भांजे को बुलाया जिसका नाम वह नहीं जानती है, मोटर साइकिल मंगाकर घटनास्थल से भाग गया था। घटना के थोड़ी देर बाद पुलिस आ गयी थी जिसकी सूचना पुलिस को उसकी जेठानी के लड़के ने पुलिस को दी थी। इस सम्बन्ध में

पुलिस वालों ने बयान लिखा था। जो आज बताया है वही सी.ओ. मोहनलाल को बताया था।

19. पी.डब्लू. 3 रामकुमार ने अपनी मुख्य परीक्षा में सशपथ कथन किया है कि मृतक शिशुपाल उसका साला था। इसके मृत्यु की सूचना उसे गांव वालों ने फोन पर दी थी,उसने अपना नाम राकेश बताया था। उसने उसे फोन पर बताया था कि शिशुपाल की गोली मारकर हत्या कर दी गयी है इसी सूचना पर अपनी ससुराल के लिए अपने घर सिरसागंज, फिरोजाबाद के लिए चल दिया था। एक या सवा घंटे के अन्दर वह अपनी ससुराल पहुँच गया था। गांव के बाहर शिशुपाल का शव पड़ा था वहां पर काफी भीड़ लगी थी और वहां पर पुलिस वाले मौजूद थे। वह जब वहां पहुंचा था तो पुलिस वाले लिखापढ़ी कर रहे थे। रात्रि के करीब आठ या सवा आठ का समय रहा हो। वहां पर बिजली की रोशनी थी। शिशुपाल की लाश उसके सामने ही पुलिस वालों ने सील की थी। शिशुपाल के पंचायतनामा पर उसके भी हस्ताक्षर कराये थे। वह वहां पर लोगों को नहीं जानता था। उसके जानने वालों में नेत्रपाल व रामौतार थे। जिन्हें वह जानता था इस घटना के सम्बन्ध में सी. ओ. साहब ने उसके बयान दूसरे दिन लये थे। उसके सामने ही लाश को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया था।

20. पी.डब्लू. 4 कां. विनय कुमार, जो एफ.आई.आर लेखक है, ने अपनी मुख्य परीक्षा में कथन किया है कि कि दिनांक 27–11–2017 को वह बतौर कां. कुर्क के पद पर थाना जसवन्तनगर के पद पर तैनात था उसी दिन एक किता तहरीर लेकर वादी बृजमोहन उसके पास आया था। लेखक केरूप में रामौतार का नाम अंकित था उसने प्रभारी निरीक्षक के मौखिक आदेश के उपरांत तहरीर को पढ़कर कम्प्यूटर क्लर्क से बोल–बोलकर लिखायी थी जिसमें अपराध संख्या 874/2017, थाना जसवन्तनगर, धारा 302, 323 भा.द.सं. व 3 (2)5 एस.सी./एस.टी. एक्ट में अभियुक्त रिंकू उर्फ ब्रिग्रेडियर के विरुद्ध पंजीकृत करायी थी। सम्पूर्ण विवरण हार्डडिस्क में कराकर प्रिंट आउट निकलवाया जाना कहा है तथा एक कापी वादी को प्राप्त करायी थी। यह भी कहा है कि साक्षी को कागज संख्या 4 क/1 लगायत 4 क/4 दिखाया गया था तो साक्षी ने कहा कि यह वही एफ.आई.आर. चिक है जिसे उसने दिनांक 27.11.2017 को प्रिंट कराया था जिस पर प्रदर्श क–2 डाला गया तथा इसी क्रमें कागज संख्या 4क/1 जी.डी. जिसमें थाना की मुहर व प्रभारी निरीक्षक के हस्ताक्षर है, जिस पर प्रदर्श क–3 डाला गया। इस घटना की जानकारी उसने उच्चाधिकारियों को दिया जाना कहा है।

21. पी.डब्लू.5 डा.आकाश श्रीवास्तव ने अपनी मुख्य परीक्षा में कथन किया है कि दिनांक 28.11.2017 को वह सी.एच.सी. जसवन्तनगर में मेडिकल

आफीसर के पद पर तैनात था। उसी दिन मजरूब के शरीर का वाह्य चिकित्सीय परीक्षण किया था उसके शरीर पर निम्न चोटें थीं–रगड़ का एक निशान जिसका साइज 0.5 सेमी x 0.5 सेमी दाहिने हाथ पर 2 सेमी कुहनी के दाहिनी तरफ ज्वाइंट से 2 सेमी नीचे थी। चोट का रंग लाल व भूरा रंग लिये हुए थी यह चोट साधारण थी और 24 घंटे से 36 घंटे तक आना संभव थी यह चोट कुन्दाले से आना संभव है। उसने मजरूब का निशानी अंगूठा व पहचान चिन्ह अपने सामने अंकित कराया था जिसे उसने सत्यापित किया था मूल पत्रावली में कागज संख्या 8 क उसके सामने है जो उसके लेख व हस्ताक्षर में है जिस पर प्रदर्श क–4 डाला गया।

22. पी.डब्लू. 6 डाक्टर विकास सचान, जिसके द्वारा मृतक शिशुपाल का शव.विच्छेदन किया था, ने अपनी मुख्य परीक्षा में सशपथ कथन किया है कि वह दिनाक 28.11.2017 में सी.एच.सी. चौपला में बतौर चिकित्साधिकारी के पद पर तैनात उस दिन उसकी ड्यूटी शव विच्छेदन गृह, इटावा में थी। उसी दिन कां. कमलेश किशोर व अजय कुमार, थाना जसवन्तनगर, जिला इटावा मय कागजात के उसके पास मृतक शिशुपाल सिंह के शवविच्छेदन परीक्षण हेतु लेकर आये थे। उसने उपरोक्त मृतक व्यक्ति के शरीर का विच्छेदन परीक्षण किया था। उसने विच्छेदन समय 12.30 पी.एम. से शुरु कर 1.05 पी.एम. तक किया था। विच्छेदन का विवरण निम्न प्रकार है–

पोस्टमार्टम के दौरान मृतक के शरीर से एक जैकेट, एक शर्ट, एक पेन्ट, एक अण्डरवियर, एक जोड़ी चप्पल व लाल धागा मौजूद था। पोस्टमार्टम के दौरान मृतक के ऊपरी व निचले हिस्से में अकड़न मौजूद थी। पोस्टमार्टम के दौरान डिपैन्डन्ट पार्ट में पोस्टमार्टम स्टेनिंग मौजूद थी। पोस्टमार्टम के दौरान वाह्य परीक्षण में निम्न चोटें थी–

एक घाव जिसका आकार 2x2 से.मी. गर्दन में ऊपरी भाग में बाह्य कान से 3 से.मी. पीछे मौजूद था घाव के चारों ओर कालिमा मौजूद थी। आसपास के बाल जले हुये थे। घाव के अन्दर मौजूद हड्डी टूटी हुयी थी। उपरोक्त घाव आग्नेयास्त्र से गोली अन्दर गयी है। पोस्टमार्टम के दौरान आन्तिक परीक्षण निम्नवत है–

दिमाग व दिमाग की छिल्ली फटी हुयी है और उसमें खून का थक्का मौजूद था। दांत 16x16 मौजूद थे। दोनों साइड के दोनों फेफड़े कन्जस्टड थे। हृदय का दाया भाग भरा हुआ था, बांया खाली था। पेट में लगभग 200 ग्राम अधपचा भोजन मौजूद था। छोटी आंत में पचा हुआ खाना और गैस मौजूद थी। बड़ी आंत में लेट्रीन व गैस मौजूद थी। लीबर तिल्ली व दोनों तरफ के गुर्दे कनजस्ट थे। मूत्राशय खाली था। पोस्टमार्टम के दौरान एक धातु की गोली (बुलेट) दिमाग के दाये भाग से निकाली गयी थी। जोकि

उपरोक्त कांस्टेबल को बंद लिफाफा में वापस कर दिया था। पोस्टमार्टम रिपोर्ट के अनुसार मृतक की मृत्यु लगभग 3/4 दिन पूर्व की है। त्यु का कारण कोमा जो कि मृत्यु से पूर्व आयी सिर में चोट व आग्नेयास्त्र की वजह से होना प्रतीत होती है। यह भी कहा हैकि उसने सम्पूर्ण शव विच्छेदन करने के उपरांत मूल प्रपत्र 10 प्रपत्रों के यप में कांस्टेबल कमल किशोर को सौंप दिये थे तथा उनके हस्ताक्षर भी कराये थे। कमल किशोर के साथ अभय कुमार भी हस्ताक्षर कराये थे तथा उपरोक्त शव विच्छेदन रिपोर्ट को अपने हस्तलेख व हस्ताक्षर में तैयार किया जाना कहते हुए साबित किया जिस पर प्रदर्श क–5 डाला गया।

23. पी.डब्लू.7 उपनिरीक्षक जय प्रकाश सिंह ने अपनी मुख्य परीक्षा में कथन किया है कि दिनांक 27.11.2017 को वह थाना जसवन्तनगर में तैनात था। इस साक्षी द्वारा अपने बयान में पंचायतनामा की कार्यवाही किया जाना तथा पंचायतनामा कागज संख्या 10 क/1 लगायत 10 क/2 को अपने लेख व हस्ताक्षर में होना कहते हुये साबित किया जिस पर प्रदर्श क 6 डाला गया एवं संलग्न प्रपत्र 10 क/3 लगयात 10 क/7 सभी पर प्रदर्श क 7 डाला जाना कहा है तथा क्रमशः क 7/1, क 7/2, क 7/3, क 7/4 डाला गया।

24. पी. डब्लू, 8 मौजीलाल, ने सशपथ कथन किया है कि दिनांक 30.11.2017 को वह बतौर एच.एम. के पद पर थाना जसवन्तनगर जिला इटावा में तैनात था उसी दिन एक किता तहरीर हस्तलिखित को लेकर एस.आई. शिवशंकर सिंह उसके पास आये थे। उसने उस तहरीर को चढ़ने के उपरांत उसे बोल बोलकर कम्प्यूटर क्लर्क चन्द्रवीर सिंह से टाइप करायी थी तथा प्रिन्ट आउट निकलवाया था। उस तहरीर को उसने अपराध संख्या 879/2017 पर अन्तर्गत धारा 3/25 आर्म्स एक्ट राज्य बनाम रिंकू यादव, थाना जसवन्तनगर के विरुद्ध दर्ज किया था था उस अपराध का खुलासा उसने जी.डी. संख्या 37 दिनांक 30.11.17 समय 18.35 पर कम्प्यूटर क्लर्क से ही बोल–बोलकर अंकित कराया था। इस घटना की विवेचना सुरजीत सिंह को सौंपी गयी थी। अभियुक्त का हुलिया भी उसने जी. डी. में अंकित किया था। उसने इस जी.डी. में अभियुक्त से बरामद एक तमंचा 315 बोर, दो कारतूस जिन्दा, एक खोखा का नमूना मुहर के साथ लेकर आये थे उसका भी हवाला अंकित किया जाना कहा है उसके वादी एस.आई. शिवशंकर ही थे। मूल पत्रावली में शामिल कागज संख्या 4 क/1 लगायत 4 क/2 पर एस.एच.ओ के हस्ताक्षर है तथा कम्प्यूटर क्लर्क चन्द्रवीर सिंह के हस्ताक्षर भी है। यही चिक उसके द्वारा किता करायी गयी थी इस पर प्रदर्श क–8 डाला गया। इसी प्रकार पत्रावली में शामिल कागज संख्या 4 क/3 जी.डी. जिस पर थाने की मुहर चस्पा है, उसके भी उसके द्वारा ही

बोल–बोलकर टाइप कराकर प्रिंट आउट निकलवाया था जिसे साक्षी ने साबित किया जिस पर प्रदर्श क–8 डाला गया।

25. पी.डब्लू. 9 सेवा निवृत्त मोहन लाल क्षेत्राधिकारी जो इस केस का विवेचक है, की साक्ष्य में आया है कि दिनांक 28.11.2017 को वह वतौर क्षेत्राधिकारी जसवन्तनगर, इटावा के पद पर तैनात था। उसी दिन उसके अपराध संख्या 874/2017 धारा 302, 323 भा.द.सं. व 3 (2) (5) एस.सी. एस.टी., थाना जसवन्तनगर राज्य बनाम रिंकू उर्फ बिग्रेडियर की विवेचना प्राप्त हुयी थी। इस साक्षी द्वारा विवेचना कार्यवाही को अपने बयान में सम्पादित करते हुये वादी के निशानदेही पर अपने लेख व हस्ताक्षर में नक्शा नजरी तैयार किया जाना कहा है। जिस पर प्रदर्श क–10 डाला गया तथा यह भी कहा है कि घटनास्थल का नक्शा तैयार कराने के बाद उसने समई साक्ष्य राजेश कुमार, बबलू आदि से पूछताछ कर उनके बयान अंकित किये थे। दिनांक 29.11.2017 को पर्चा नं.2 किता करके पंचायतनामा का अवलोकन कर उसका विवरण अंकित कियाथा। इसके बाद पोस्टमोर्टम रिपोर्ट का अवलोकन कर उसका विवरण अंकित कर पोस्टमार्टम हाउस शव को ले जाने वाले कांस्टेबल कमल किशोर व अजय कुमार के कथन अंकित किये थे। दिनांक 01.12.17 को पर्चा नं.3 किता करते हुए अभियुक्त जो कि गिरफ्तार होकर थाने के लॉकअप में था, सूचना पर वह मौके पर पहुँचा और अभियुक्त रिंकू यादव उर्फ बिग्रेडियर यादव का कथन अंकित किया था। रिकू यादव को अ.सं. 874/17 में जब गिरफ्तार किया गया था तब तलाशी के दौरान नाजायज तमंचा बरामद हुआ था। उसने अपने कथन में यह भी बताया था कि जो तमंचा दरोगाजी ने उससे बरामद किया है उसी से उसने मृतक शिशुपाल की गोली मारकर हत्या की थी। अभियुक्त के बयान अंकित करने के बाद उसने दिनांक 14.12.2017 को एवं 23.12.2017 को पर्चा नं.4 व 5 में अभियुक्त के रिमाण्ड का विवरण अंकित किया था। दिनांक 25.12.2017 को पर्चा नं.6 किता करते हुए ब्रजमोहन की मेडिकल रिपोर्ट का अवलोकन किया था उसने अपने बयान में कहा था जब दोनों के बीच धक्का–मुक्की हो रही थी उसके बाद जब उसके सामने गोली मारकर भाग रहा था तो उसके भी चोट लगी थी। उसमें उसका मेडिकल भी हुआ था। उसके उपरांत उसने अपने द्वारा की गयी विवेचना में सम्पूर्ण साक्ष्य का अवलोकन करते हुए अभियुक्त रिंकू उर्फ बिग्रेडियर के विरुद्ध धारा 323, 302 भा.द.सं. व धारा 3(2)(5)एस.सी.एसटी एक्ट का अपराध पाने के उपरांत उपरोक्त अभियुक्त के विरुद्ध आरोप पत्र संख्या 449/2017 दिनांक 25.12.17 को अपने हस्ताक्षर करने के उपरांत न्यायालय में प्रेषित किया था जो मूल पत्रावली में शामिल

कागज संख्या 3 क/1 लगायत 3 क/5 है जिस पर उसके हस्ताक्षर हैं जिस पर प्रदर्श क–11 डाला गया।

26. पी.डब्लू.10 क्षेत्राधिकारी अतुल प्रधान ने अपनी मुख्य परीक्षा में सशपथ कथन किया है कि दिनांक 09.12.2022 को सी.ओ. जसवन्तनगर, इटावा में तैनात था उसी दिन अपराध संख्या 874/2017 धारा 302, 323 भा.दं.सं., 3 (2) (v) थाना जसवन्तनगर, राज्य बनाम रिंकू उर्फ बिग्रेडियर में मुकदमा से सम्बन्धित विधि विज्ञान प्रयोगशाला लखनऊ से रिपोर्ट उनके हस्ताक्षर सहित जिसमें 09.04.2019 की तिथि अंकित थी तथा विधि विज्ञान प्रयोशाला से सम्बन्धित रिपोर्ट विधि विज्ञान अधिकारी आग्नेयास्त्र के हस्ताक्षर, 315 बोर देशी पिस्तोल से फायरिंग से सम्बन्धित अभिमत के परिणाम उसे प्राप्त हुये थे जो मूल पत्रावली में 19 ख/2 व 28 क जिन दोनों पर 76260 एवं 123636 न0 प्रिंट है, प्राप्त हुये थे। उसने उनके परिणामों का अवलोकन किया था। अवलोकन के बाद दिनांक 09.12.2022 को उपरोक्त अपराध से सम्बन्धित ऐस.सी.डी. 1 किता करते हुये उस रिपोर्ट का विवरण अंकित किया था। प्रपत्र उसके सामने हैं। जिसपर अपने हस्ताक्षर होना कहा है तथा एस.सी.डी. 1 व परिणाम पत्रावली में शामिल होना कहा है।

27. पी.डब्लू.11 उपनिरीक्षक सुरजीत सिंह ने अपनी मुख्य परीक्षा में सशपथ कथन किया है कि वह दिनांक 30.11.2017 पद पर तैनात था। उसी दिन उसे अ.स. 879/2017 अन्तर्गत धारा 3/25 आयुध अधिनियम राज्य बनाम रिंकू उर्फ बिग्रेडियर, थाना जसवन्तनगर, की विवेचना प्राप्त हुयी थी। उसी दिन उसने विवेचना का प्रारम्भ करते हुए पर्चा नं.1 किता करते हुए जिसमें नकल चिक, नकल फर्द, नकल फर्द बरामदगी आला कत्ल का अवलोकन करते हुए उसका ब्यौरा अंकित किया था उसके उपरांत नकल रपट संख्या 37 समय 18.35 दिनांकित 30.11.17 का अवलोकन कर उसका उतारा किया था इसके बाद बयान लेखक एफ.आई.आर. मौजीलाल अंकित थे, उसके बाद पर्चा नं.2 दिनांकित 01.12.17 को काटा था। बयान अभियुक्त रिंकू यादव उर्फ बिग्रेडियर अंकित किया जाना कहा है तथा दिनांक 03.12.17 को पर्चा नं.3 किता करते हुए बयान वादी एस.आई शिव शंकर सिंह अंकित किये थे इसके बाद उनके साथ घटनास्थल पर जाकर घटनास्थल का निरीक्षण कर नक्शा नजरी बनाया था जो पत्रावली में कागज संख्या 7 क है जो उसके लेख व हस्ताक्षर में है जिस पर प्रदर्श क–12 डाला गया। इसके उपरांत दिनांक 04.12.17 को पर्चा नं.4 किता करते हुए बयान फर्द गवाह एस.आई रामवीर सिंह, कांस्टेबल 1152 विनय कुमार अंकित किये, दिनांक 07.01.2018 को पर्चा नं.5 किता करते हुए नकल आदेश दिनांक 06.1.18 के द्वारा प्रस्तुत अभियोजन

स्वीकृति के आदेश का उतारा किया था। अभियोजन स्वीकृति जो कि जला मजिस्ट्रेट, इटावा से दिनांक 06.0.18 जो उसके द्वारा ली गयी थी उसके आदेश की मूल प्रति पत्रावली में कागज संख्या 8 क के रूप में संलग्न है। यह वह आदेश है जो कि जिला मजिस्ट्रेट के द्वारा अभियोग चलाने की अनुमति दी गयी है इस पर प्रदर्श क–13 डाला गया। अभियोजन स्वीकृति का उतारा करने के उपरांत उसने अपने द्वारा की गयी विवेचना एवं संकलित साक्ष्यों का अध्ययन करने के उपरांत अभियुक्त रिंकू यादव उर्फ बिग्रेडियर के विरुद्ध जुर्म धारा 3/25 आयुध अधिनियम का आरोप वखूवी साबित होने पर जरिये आरोप पत्र न्यायालय प्रेषित किया था। जिसकी आरोप पत्र संख्या 7/18 दिनांक .07.01.2018 थी जो मूल पत्रावली में कागज संख्या 3 क/1 लगायत 3 क/2 है,शामिल है जिस पर उसके ही हस्ताक्षर है यह वही आरोप पत्र है जो उसके ही द्वारा न्यायालय में प्रेषित किया गया था जिस पर प्रदर्श क–14 डाला गया।

28. पी.डब्लू. 12 निरीक्षक शिवशंकर सिंह, जो इस केस का शिकायतकर्ता/वादी है, ने अपने बयान में कहा है कि दिनांक 30.11.2017 को वह वहां एस. आई. रामबीर सिंह एवं हमराही कान्सटेबल विनय कुमार को साथ लेकर थाना हाजा से खाना हुआ था जिसका तस्करा उसने जी.डी. संख्या 29 पर उपरोक्त दिनांक को हवाला अंकित किया था। उसकी रवानगी देखभाल व चैकिंग हेतु क्षेत्र में हुयी थी उसी चैकिंग में बराबर व्यस्त था, चकिंग करते हुए बस स्टेण्ड तिराहे पर पहुँचा। उसी समय उसे बजरिये मुखविर खास ने सूचना दी कि नगला नरिया से सोमवार की शाम को जो हत्या की घटना जिसने की थी वह किताबश्री कोल्ड स्टोर के पास मौजूद है और किसी वाहन से जसवन्तनगर से भागने की फिराक है। सूचना पर पुलिस वालों ने गवाहान तैयार करने की कोशिश की, कोई तैयार नहीं हुआ। मुखबिर खास की सूचना पर मुखबिर के इशारा करने पर व्यक्ति की पहिचान कर दबिश देकर एवं आवश्यक बल प्रयोग कर अभियुक्त को गिरफ्तार किया जाना तथा अभियुक्त के पहनी पेन्ट से एक अदद तमंचा 315 बोर चालू हालत में तथा पेन्ट की जेब से एक खोखा कारतूस व 2 अदद जिंदा कारतूस 315 बोर को बरामद होना कहा है तथा लाइसेन्स नहीं दिखा सका नाजायज तमंचा व कारतूस रखने का कारण पूंछा गया तो बताया कि गलती हो गयी है। दिनांक 27.11.2017 को उसने इसी तमंचा से गांव के ही एक लड़के शशी को गोली मार दिया जाना कहा है, जो मौके पर ही मर गया था। वह आज अपनी रिस्तेदारी में जाने को तैयार था कि आपने पकड़ लिया। साक्षी ने उक्त बरामदगी की फर्द स्वयं अपने हाथ से लिखी थी, उस पर हमराहियान के हस्ताक्षर कराये थे। उसके उपरांत अभियुक्त के भी हस्ताक्षर कराये थे जो फर्द उसने लिखी थी वह कागज संख्या 5 क के रूप में संलग्न है जिस पर प्रदर्श क–15 डाला

गया। फर्द बनाने के बाद बरामद माल 313 बोर तमंचा व एक खोखा कारतूस व दो जिन्दा कारतूस, जिन्हें एक कपड़े में रख्कर सीलमुहर किया था जो उसके सामने है जिस पर सील होने के उपरांत जंग लग चुकी है, बरामदगी के समय चालू हालत में था जिस पर वस्तु प्रदर्श –1 डाला गया। कारतूस जिनपर TC–1 78–BAL/19 इटावा लिखा हुआ है व इसी प्रकार दोनों जिंदा कारतूस पर भी LC 1 व LC 2 लिखा है व 78–BAL/19 दोनों मिस कारतूसों पर लिखा हुआ है। जिन तीनों पर फोरेंसिक लेब वालों के चिट पर हस्ताक्षर हैं। जिन तीनों कारतूसों पर वस्तु प्रदर्श 2 डाला गया। इस घटना के सम्बन्ध में विवेचक ने उसका बयान अंकित किया था।

निष्कर्ष

29. अभियुक्त के विरुद्ध आरोप है कि दिनांक 27.11.2017 को समय शाम के 5.45 बजे, स्थान मुकेश के मकान के सामने, वहद ग्राम नगला नरिया, थाना जसवन्तनगर, जिला इटावा में अभियुक्त रिंकू उर्फ बिग्रेडियर ने वादी मुकदमा के भाई शिशुपाल, जो कि अनुसूचित जाति का सदस्य है, अभियुक्त गैर अनसूचित जाति का है, के सिर में तमंचे से गोली मारकर हत्या कर दी एवं वादी ब्रजमोहन को मारपीट कर स्वेच्छया साधारण उपहति कारित की तथा अभियुक्त को मय एक अदद तमंचा 315 बोर व दो अदद जिन्दा कारतूस 315 बोर एवं एक अदद खोखा कारतूस 315 बोर दिनांक 30.11.2017 को पुलिस बल के द्वारा गिरफ्तार किया गया है।

30. बचाव पक्ष की ओर से तर्क प्रस्तुत करते हुए कथन किया गया है कि प्रथम सूचना रिपोर्ट एण्टीटाइम्ड है तथ्य के किसी भी साक्षी द्वारा घटना देखा जाना साबित नहीं होता है।

31. अभियोजन का यह केस है कि घटना की दिनांक 27.11.2017 पर समय करीब 5.45 पर वादी मुकदमा के मामा नेत्रपाल पुत्र इतवारीलाल, बहनोई रामकुमार पुत्र जाहर सिंह जाटव आये हुए थे। शाम करीब पौने छह बजे वादी मुकदमा का भाई शिशुपाल, मामा नेत्रपाल, जीजा रामकुमार के साथ मुकेश के मकान के सामने गल्ला(अनाज) खरीदने की बात खड़े–खड़े कर रहे थे उसी समय वादी मुकदमा की मां राजकुमारी बुलाने आयी थी तभी रिंकू उर्फ बिग्रेडियर यादव अपनी मोटर साइकिल से आया और वादी मुकदमा के भाई शिशुपाल से तम्बाकू लाने के लिए कहा तो भाई ने तम्बाकू लाने से मना कर दिया इतने में गुस्से में आकर रिंकू उर्फ बिग्रेडियर यादव ने वादी के भाई के सिर में तमंचे से गोली मारकर हत्या कर दी जिससे शिशुपाल की मौके पर ही मृत्यु हो गयी। वादी मुकदमा ने रिंकू उर्फ बिग्रेडियर को पकड़ना चाहा लेकिन पकड़ नहीं पाया। वादी के हाथ पर खरोंच भी आयी। घटना को मौके पर मौजूद लोगों ने देखा।

32. यदि प्रथम सूचना रिपोर्ट के तथ्यों को दृष्टिगत रखा जाये तो घटनास्थल पर वादी ब्रजमोहन, उसका भाई शिशुपाल, मामा नेत्रपाल,जीजा रामकुमार तथा वादी की मां राजकुमारी को घटनास्थल पर मौजूद होना अंकित कराया गया है। इन परिस्थितियों में प्रथम सूचना रिपोर्ट के अनुसार उपरोक्त व्यक्ति घटना के चक्षुदर्शी साक्षी थे।

33. वादी मुकदमा को अभियोजन की ओर से पी.डब्लू.1 के रूप में परीक्षित कराया गया है। यदि पी.डब्लू.1 की मुख्य परीक्षा को दृष्टिगत रखा जाये तो पी.डब्लू.1 की मुख्य परीक्षा के अनुसार घटनास्थल पर केवल उसका छोटा भाई शिशुपाल, मामा नेत्रपाल व बहनोई रामकुमार, मुकेश के मकान के सामने खड़े होकर गल्ला खरीदने की बात कर रहे थे। वादी मुकदमा द्वारा मुख्य परीक्षा में घटना के समय घटनास्थल पर अपनी उपस्थिति के सम्बन्ध में कोई कथन नहीं किया है।

34. प्रतिपरीक्षा में वादी मुकदमा द्वारा यह कथन किया है कि घटना के दिन वह पृथ्वीरपुरा में ईंट पाथने का काम कर रहा था वादी मुकदमा द्वारा यह भी स्पष्ट किया है कि जब वह भट्टे पर काम कर रहा था तब वह वहीं पर रह रहा था खाने–पीने का इंतजाम वहीं पर रहता था। दीपावली पर भट्ठों का काम शुरू हो जाता है और बरसात शुरू होने पर काम बंद हो जाता है। जून, जुलाई, अगस्त सितम्बर में भट्टा बंद हो जाता है बाकी आठ महीनों में वह भट्टे पर रहता है। उसके घर से भट्टा चालीस–पचास किलोमीटर दूर है। साक्षी ने अपने बयान में यह भी कहा है नेत्रपाल ग्राम बहादुरपुर के रहने वाले हैं। नेत्रपाल उसके गांव से राशन वाला अनाज लेने आये थे।नेत्रपाल न ही उसके गांव के रहने वाले हैं न ही राशन कार्ड की दुकान पर उनका नाम दर्ज है। रामकुमार, सिरसागंज के रहने वाले हैं सिरसागंज जिला फिरोजाबाद में पड़ता है। रामकुमार का राशन कार्ड भी उसके पते से नहीं है।रामकुमार भी अनाज लेने उसके गांव आये थे। घटनास्थल से उसका मकान सौ कदम की दूरी पर है घटनास्थल से उसका मकान दिखायी नहीं देता है। वह अपने घर से फायर की आवाज सुनकर घटनास्थल पर पहुंचा था। जब वह घटनास्थल पर पहुंचा तब तक बिग्रेडियर मौके से भाग चुका था। उसकी मां भी फायर की आवाज सुनकर उसके साथ मौके पर गयी थी। नेत्रपाल और रामकुमार घटना के समय घर पर नहीं थे उसे नहीं मालूम। फायर की आवाज सुनकर घटनास्थल पर उसके पहुँचने के बाद रामकुमार व नेत्रपाल घटनास्थल पर आये थे। साक्षी द्वारा यह भी कथन किया है कि तहरीर प्रदर्श क–1 थाना जसवन्तनगर में तब तैयार हुयी थी जब वह लाश के साथ थाने पर गया था। रामऔतार जिन्होनें तहरीर लिखी वह रात्रि नौ बजे अपने गांव से उसके गांव आये थे। रामऔतार रिश्ते में बहनोई लगते है रामऔतार ने तहरीर उसके बोलने पर लिखी थी।

तहरीर में पौने छह बजे जो लिखा है उसमें पांच को छह किया गया है यह किसने और कब किया इसकी उसे जानकारी नहीं है।

35. यदि इस साक्षी की प्रतिपरीक्षा को दृष्टिगत रखा जाये तो इस साक्षी की उपस्थिति घटना के समय गांव में न होकर भट्टे पर होना प्रतीत होती है जो उसके गांव से 40–50 किलोमीटर दूरी पर स्थित है और यदि यह मान भी लिया कि वह घटना के समय गांव में था उस दशा में भी साक्षी घटना का चक्षुदर्शी साक्षी होना स्पष्ट नहीं होता है क्योंकि स्वयं इस साक्षी के अनुसार यह साक्षी फायर की आवाज सुनकर मौके पर गया था और उसकी मां राजकुमारी भी उसके साथ मौके पर गयी थी और जब यह साक्षी मौके पर पहुंचा तब अभियुक्त वहां से भाग चुका था। इस साक्षी ने यह भी कहा है कि नेत्रपाल तथा रामकुमार उसके पहुँचने के बाद घटनास्थल पर पहुंचे थे। इस साक्षी के अनुसार तहरीर प्रदर्श क–1 थाने पर तैयार की गयी थी। तहरीर का लेखक रामऔतार पुत्र मोहर सिंह अपने गांव से वादी के गांव नौ बजे आये थे। यदि साक्षी के बयान के इस अंश पर विचार किया जाये तो तहरीर प्रदर्श क–1 दिनांक 27.11.17 में रात्रि नौ बजे के बाद लिखी जानी चाहिए थी क्योंकि इस साक्षी के अनुसार तहरीर लेखक रामऔतार अपने गांव से उसके गांव नौ बजे पहुँचे थे जब कि प्रथम सूचना रिपोर्ट के अनुसार थाने पर मामला दिनांक 27.11.17 में समय 08.05 मिनट पर पंजीकृत किया गया है।

36. अभियोजन की ओर से इस बिन्दु के सम्बन्ध में कोई स्पष्टीकरण प्रस्तुत नहीं किया गया है कि यदि तहरीर लेखक नौ बजे वादी मुकदमा के गांव पहुंचे थे तथा उसके पहुँचने के बाद वादी मुकदमा द्वारा तहरीर बोलकर लिखायी गयी थी तो प्रथम सूचना रिपोर्ट उससे पूर्व आठ बजकर पांच मिनट पर कैसे पंजीकृत हो सकती है।

37. उल्लेखनीय है कि अभियोजन की ओर से तहरीर लेखक रामऔतार को परीक्षित नहीं कराया गया है। यदि पी.डब्लू.1 के बयान को सम्पूर्ण रूप से पढ़ा जाये तो भी पी.डब्लू.1 घटना का चक्षुदर्शी साक्षी होना स्पष्ट नहीं होता है। इस साक्षी की मुख्य परीक्षा कि–"शाम करीब 5.45 बजे मेरा छोटा भाई शिशुपाल, मेरे मामा नेत्रपाल, मेरे बहनोई रामकुमार, मुकेश के मकान के सामने खड़े–खड़े गल्ला खरीदने की बात कर रहे थे उसी समय मेरी मां राजकुमारी इन सभी को बुलाने आयी थी इतने में ही रिंकू उर्फ बिग्रेडियर अपनी मोटर साइकिल से आया। प्रार्थी के भाई शिशुपाल से तम्बाकू लाने के लिए कहा तम्बाकू लाने से मना कर दिया गुस्से में आकर मेरे भाई के सिर पर तमंचे से गोली मारकर हत्या कर दी जिसमें मेरे भाई की जिससे मेरे भाई की मौके पर ही मृत्यु हो गयी। मैं मौके पर शोरगुल सुनकर पहुँच गया था", से स्पष्ट होता है कि

घटना के समय यह साक्षी घटनास्थल पर मौजूद नहीं था शोरगुल सुनकर वह मौके पर पहुंचा था जब यह साक्षी मौके पर पहुंचा था तो स्वयं इस साक्षी की प्रतिपरीक्षा के अनुसार अभियुक्त मौके से भाग चुका था। इस साक्षी के बयान से यही स्पष्ट होता है कि इस साक्षी ने कथित घटना कारित होते अपनी आंखों से नहीं देखी तथा यह साक्षी घटना का चक्षुदर्शी साक्षी नहीं है। इस साक्षी के बयान से बचाव पक्ष के इस तर्क को भी बल मिलता है कि प्रथम सूचना रिपोर्ट एण्टीटाइम्ड है।

38. पी.डब्लू.2 के रूप में राजकुमारी को परीक्षित कराया गया है। प्रथम सूचना रिपोर्ट के अनुसार इस साक्षी को घटना की चक्षुदर्शी साक्षी होना अंकित किया गया है। परन्तु पी.डब्लू.1 ब्रजमोहन, जो कि राजकुमारी का पुत्र है, ने अपने साक्ष्य में यह अंकित कराया है कि उसकी मां राजकुमारी उसके साथ फायर की आवाज सुनकर पहुँची थी। ऐसी दृष्टि में अब यह देखा जाना है कि साक्षी पी.डब्ल.2 द्वारा अपने बयान में क्या कथन किया है। अपनी मुख्य परीक्षा में इस साक्षी द्वारा यह कथन किया है कि वह अपने बेटे से चार पांच कदम की दूरी पर चबूतरे पर बैठी थी तथा उसका पुत्र शिशुपाल चाट के ठेले पर टिक्की खा रहा था। इसी बीच रिंकू बिग्रेडियर भी आया और उसके बेटे से टिक्की खिलाने के लिए कहा उसके बेटे ने कहा कि वह गरीब आदमी है उसके पास पैसे नहीं है तो उसने गाली देते हुए तम्बाकू लाने के लिए कहा जब उसके बेटे ने तम्बाकू लाने से मना किया तो रिंकू ने उसके पुत्र को गोली मार दी। इस साक्षी द्वारा मुख्य परीक्षा में यह भी कहा है कि घटना के बाद रिंकू उर्फ बिगेडियर ने अपने भांजे को बुलाया और मोटर साइकिल मंगाकर घटनास्थल से भाग गया।

39. यदि इस साक्षी की मुख्य परीक्षा पर विचार किया जाये तो घटना के समय उसका पुत्र शिशुपाल टिक्की खा रहा था तथा जब शिशुपाल ने अभियुक्त को टिक्की खिलाने व उसके कहने पर तम्बाकू लाने से मना किया तो उसके पुत्र को गोली मार दी गयी और अभियुक्त द्वारा अपने भांजे को बुलाकर मोटर साइकिल मंगाकर घटनास्थल से भाग गया। इस साक्षी की प्रति परीक्षा एवं प्रथम सूचना रिपोर्ट में महत्वपूर्ण विरोधाभास है। प्रथम सूचना रिपोर्ट में यह अंकित कराया है कि अभियुक्त रिंकू अपनी मोटरसाइकिल से मौके पर आया था यदि अभियुक्त मोटर साइकिल से मौके पर आया था तो उसके द्वारा अपने भांजे से घटना के बाद मोटर साइकिल मंगाये जाने का कोई प्रश्न उत्पन्न नहीं होता है।

40. इस साक्षी द्वारा प्रतिपरीक्षा में यह कहा है कि जिस समय उसके लड़के की हत्या हुयी उस समय वह अपने चबूतरे पर नहीं बैठी थी बल्कि रोड पर जो चबूतरा है उस पर बैठी थी, परन्तु प्रतिपरीक्षा के दूसरे अंश में इस साक्षी ने यह कहा है कि जिस चबूतरे पर वह बैठी हुयी थी वह चबूतरा उसके मकान के आगे ही है, चार छह

लोग इस चबूतरे पर और भी बैठे हुए थे। इस साक्षी द्वारा अपनी प्रतिपरीक्षा मे यह भी कहा है कि उसका मकान मुकेश के मकान के पश्चिम दिशा में है उसके मकान का दरवाजा पश्चिम दिशा में है इसी दरवाजे के आगे चबूतरा है मुकेश के मकान का दरवाजा पूरब दिशा में है।

41. इस साक्षी के बयान में भी महत्वपूर्ण विरोधाभास है इस साक्षी के बयान से संदेह से परे यह स्पष्ट नहीं होता है कि यह साक्षी कथित घटना के समय किस चबूतरे पर बैठी हुयी थी। यदि यह साक्षी घटना के समय अपने मकान के आगे बने चबूतरे पर बैठी हुयी थी और इस साक्षी का मकान मुकेश के मकान के पश्चिम दिशा में है और मकान का मुख्य दरवाजा भी पश्चिम दिशा में खुलता है तथा मुकेश के मकान का दरवाजा पूरब दिशा में है तो यह अपने चबूतरे से मुकेश के मकान के सामने कथित घटना घटित होते हुए किस प्रकार देख सकती थी इसका कोई स्पष्टीकरण अभियोजन की ओर से प्रस्तुत नहीं किया गया है यदि किसी व्यक्ति के मकान का दरवाजा पश्चिम दिशा में खुलता हो और वह अपने मकान के चबूतरे पर बैठा हो तो वह व्यक्ति उस मकान के सामने घटित घटना नहीं देख सकता है जिसका दरवाजा पूरब दिशा में खुलता हो और वो भी उस दशा में जब कि दोनों मकान एक–दूसरे से लगे हुए न हों।

42. पी.डब्लू.2 ने अपने साक्ष्य में यह कहा है कि उसके मकान का दरवाजा पश्चिम दिशा में खुलता है तथा मुकेश का दरवाज पूरब में खुलता है तथा दोनों के मकान के बीच में एक और मकान पड़ जाता है। इसके अतिरिक्त इस साक्षी ने अपने बयान में यह भी कहा है मुकेश का मकान उसके मोहल्ले में नहीं है बल्कि दूसरे मुहल्ले में है। ऐसी परिस्थिति में इस साक्षी का चक्षुदर्शी साक्षी होने पर संशय उत्पन्न होता है।अभियोजन का यह भी केस नहीं है कि पी.डब्लू.2 तथा मुकेश के मकान आपस में लगे हुए हों। साक्षी पी.डब्लू.2 द्वारा तो यह भी कहा गया है कि दोनों मकान के मध्य एक और मकान है ऐसी परिस्थिति में इस साक्षी द्वारा कथित घटना को घटित होते हुए देखे जाने की कोई संभावना नहीं होती है। इस साक्षी ने अपनी प्रतिपरीक्षा में यह भी कहा है कि उसके पुत्र द्वारा चाट के ठेले पर चाट खाने के सम्बन्ध में विवेचक को अपने बयान में बताया था। जब कि इस साक्षी के बयान अन्तर्गत धारा 161 द.प्र.सं. में ऐसा कोई कथन नहीं है। इस साक्षी द्वारा मृतक द्वारा घटना के समय चाट के ठेले पर टिक्की खाना न्यायालय के समक्ष प्रथम बार बताया है तथा अभियुक्त द्वारा अपने भांजे को बुलाना और उसके द्वारा मोटर साइकिल लेकर आना भी इस साक्षी द्वारा विवेचक को दिये गये बयान में नहीं बताया है प्रथम बार न्यायालय के समक्ष अंकित कराया है ऐसी स्थिति में इस साक्षी के बयान के उपरोक्त

अंश अपने पूर्व में किये गये बयान में सुधार की श्रेणी में आते हैं। विधि व्यवस्था **रोहताश बनाम हरियाणा राज्य (2012)6 एस.सी.सी. 589** में माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा यह अवधारित किया है कि यदि किसी सुसंगत तथ्य पर अभियोजन साक्षी द्वारा बयान अन्तर्गत धारा 161 द.प्र.सं. में उल्लेख नहीं किया गया है परन्तु विचारण के समय न्यायालय के समक्ष अंकित कराये गये बयान में कथित सुसंगत तथ्य के विषय में बयान पहली बार दिया जाता है तो बयान सुधार की श्रेणी में आयेगा तथा साक्ष्य के उक्त अंश पर निर्भर किया जाना सही नहीं है। इस साक्षी के सम्पूर्ण बयान की सूक्ष्म समीक्षा से इस साक्षी द्वारा कथित घटना अपनी आंखों से देखा जाना संदेह से परे सिद्ध नहीं होता है।

43. पी.डब्लू.3 के रूप में अभियोजन की ओर से श्री रामकुमार पुत्र जाहर सिंह को परीक्षित कराया गया है। प्रथम सूचना रिपोर्ट में इस साक्षी को भी घटना के समय घटनास्थल पर मौजूद होना अंकित किया गया है। यह साक्षी वादी मुकदमा का बहनोई है। इस साक्षी द्वारा मुख्य परीक्षा में ही यह कथन किया है कि शिशुपाल उसका साला था, उसकी मृत्यु की सूचना उसे गांव वालों ने फोन पर दी थी। कि शिशुपाल की गोली मारकर हत्या कर दी गयी है इसी सूचना पर वह अपनी ससुराल के लिए अपने घर सिरसागंज, फिराजोबाद से चल दिया और जब वह अपनी ससुराल चल दिया तो गांव के बाहर शिशुपाल का शव पड़ा था वहां पर काफी भीड़ लगी थी और पुलिस वाले मौजूद थे और जब वह वहां पहुंचा तो पुलिस वाले लिखा पढ़ी कर रहे थे। हालांकि इस साक्षी को प्रथम सूचना रिपोर्ट में चक्षुदर्शी साक्षी बताया है परन्तु इस साक्षी ने अभियोजन कथानक के विपरीत बयान देते हुए कथन किया है फोन पर मृत्यु की सूचना मिलने पर जब वह पहुँचा तो गांव के बाहर शिशुपाल का शव पड़ा हुआ था। प्रतिपरीक्षा में भी इस साक्षी ने ऐसा कोई कथन नहीं किया है जिससे अभियोजन कथानक का समर्थन होता हो। इस साक्षी के बयान के अनुसार यह साक्षी भी घटना का चक्षुदर्शी साक्षी नहीं है तथा इस साक्षी द्वारा भी घटना होते हुए अपनी आंखों से नहीं देखी है तथा स्पष्ट किया है कि जब यह साक्षी गांव में पहुँचा था उस समय शिशुपाल का शव पड़ा हुआ था। इस साक्षी के साक्ष्य से अभियोजन कथानक का समर्थन नहीं होता है।

44. पी.डब्लू 4 एफ.आई.आर. लेखक है जिसके द्वारा चिक प्रथम सूचना रिपोर्ट व जी.डी. को साबित किया है इस साक्षी द्वारा मुकदमा कायमी जी.डी. को प्रदर्श क–3 के रूप में साबित किया है। जी.डी. प्रदर्श क–3 में यह अंकित है कि दिनांक 27.11.17 में समय 08.05 पी.एम पर ब्रजमोहन पुत्र स्व.हरीराम द्वारा थाना उपस्थित आकर एक किता प्रार्थना पत्र हिन्दी लिखित व दस्तखती खुद अभियुक्त

द्वारा वादी के भाई शिशुपाल को तमंचे से गोली मारकर हत्या कर देने के सम्बन्ध में प्रस्तुत किया गया। रोजनामचा आम प्रदर्श क–3 के अध्ययन से स्पष्ट होता है कि जी.डी. में ऐसा कहीं अंकित नहीं है कि वादी मुकदमा के साथ तहरीर लेखक रामऔतार भी थाने आया हो तथा तहरीर थाने पर तैयार की गयी हो। यदि तहरीर लेखक रामऔतार वादी के साथ उपस्थित होता तो इस सम्बन्ध में जी.डी. में उल्लेख अवश्य होता। जी.डी. में तहरीर लेखक की उपस्थिति के सम्बन्ध में कोई विवरण न होना वादी मुकदमा के इस बयान पर संदेह उत्पन्न करता है कि तहरीर पी.डब्लू.1 के बोलने के आधार पर थाने पर तैयार की गयी थी।

45. पी.डब्लू.5 डा.आकाश श्रीवास्तव, चिकित्सक साक्षी है जिसके द्वारा वादी ब्रजमोहन के शरीर पर आयी चोट का परीक्षण किया गया था जिसमें उसके शरीर पर रगड़ का निशान जिसका साइज 0.5 सेमी x 0.5 सेमी दाहिने हाथ पर 2 सेमी कुहनी के दाहिनी तरफ ज्वाइंट से 2 सेमी नीचे थी। चोट का रंग लाल व भूरा रंग लिये हुए थी यह चोट साधारण थी और 24 घंटे से 36 घंटे तक आना संभव अंकित किया है।

46. वादी मुकदमा द्वारा प्रथम सूचना रिपोर्ट में उपरोक्त चोट अभियुक्त को पकड़ने की कोशिश में आना बताया गया है। परन्तु न्यायालय के समक्ष अंकित कराये गये बयान में वादी द्वारा इस बिन्दु को स्पष्ट नहीं किया है कि उक्त चोट उसे किस प्रकार आयी ।

47. पी.डब्लू.6 के रूप में डाक्टर विकास सचान को परीक्षित कराया गया है जिसके द्वारा कहा गया है कि वह दिनांक 28.11.2017 को सी.एच.सी. चौपुला में बतौर चिकित्साधिकारी के पद पर तैनात था तथा उसके द्वारा मृतक का शव विच्छेदन समय 12.30 पी.एम. से शुरू कर 01.05 पी.एम तक किया जाना कहते हुए शव विच्छेदन आख्या प्रदर्श क–5 को विधिवत साबित किया है। (साक्षी के बयान को मुख्य परीक्षा में पूर्व में उल्लिखित किया जा चुका है) प्रतिपरीक्षा में चिकित्सक द्वारा यह कहा है कि मृतक के पेट में जो अधपचा भोजन था वह मृतक ने मृत्यु से दो–तीन घंटे पहले खाया हुआ था। इस साक्षी की प्रतिपरीक्षा से भी पी.डब्लू.2 के कथनों की सम्पुष्टि नहीं होती है कि घटना के समय शिशुपाल चाट के ठेले पर टिक्की खा रहा था। यदि मृतक घटना के समय टिक्की खा रहा था तो शव विच्छेदन के समय उसके पेट में जो अधपचा भोजन चिकित्सक द्वारा पाया गया है वह मृत्यु से 2–3 घंटे पूर्व खाया गया नहीं होता। (शव विच्छेदन आख्या को प्रदर्श क–5 के रूप में साबित किया है परन्तु त्रुटिवश शव विच्छेदन आख्या पर प्रदर्श क–6 अंकित हो गया है जिसे

दुरूस्त कर प्रदर्श क–5 किया गया) इस साक्षी के बयान से भी पी.डब्लू.2 के कथन की सम्पुष्टि नहीं होती है कि मृतक शिशुपाल घटना के समय टिक्की खा रहा था।

48. पी.डब्लू.7 के रूप में साक्षी उपनिरीक्षक जयप्रकाश सिंह को परीक्षित कराया गया है। यह साक्षी पंचायतनामा का साक्षी है। जय प्रकाश सिंह ने कथन किया है कि दिनांक 27.11.2017 को वह थाना जसवन्तनगर में तैनात था। इस साक्षी द्वारा पंचायतनामा प्रदर्श क–6 तथा पंचायतनामा से सम्बन्धित प्रतिसार निरीक्षक पुलिस लाइन, इटावा को प्रेषित पत्र प्रदर्श क–7, मुख्य चिकित्साधिकारी, इटावा को पंचायतनाम हेतु प्रेषित प्रपत्र, प्रदर्श क–7/1, आरक्षक प्रपत्र (पुलिस फार्म)सं.33 प्रदर्श क–7/2, चालान शव विच्छेदन हेतु प्रपत्र प्रदर्श क 7/3 तथा फोटो नाश को प्रदर्श क–7/4 के रूप में विधिवत साबित किया है तथा अपने बयान में कथन किया है कि पंचायतनामा की कार्यवाही 27.11.17 को शाम के लगभग 08.05 मिनट पर शुरू हुयी थी तथा रात्रि लगभग 10 बजे समाप्त हुयी थी। जब पंचायतनामा भरा गया था उस समय साक्षी के पास एफ.आइ आर की कापी थी। पंचायतनामा प्रदर्श क–6 पर दिनांक व समय पर मौजूद कटिंग के सम्बन्ध में साक्षी द्वारा कथन किया है कि इस कटिंग पर कोई हस्ताक्षर नहीं है इस कटिंग पर पूर्व में 28.11.17 व समय 11 बजे दिन अंकित था जिस पर ओवरराइटिंग करके 27.11.17 व समय 10 बजे किया गया। दिनांक 27.11.17 पंचायतनामा के प्रपत्र 1 पर 3 कॉलम में किया गया है। इसी प्रकार समय के स्थान पर कटिंग करके 10 बजे तीन स्थान पर किया गया है। साक्षी ने प्रतिपरीक्षा में यह भी स्पष्ट किया है कि उसने विवेचक को दिये गये बयान में कटिंग एवं ओवरराइटिंग के सम्बन्ध में बता दिया था। पंचायतनामा प्रदर्श क–6 एवं प्रपत्र प्रदर्श क–7 एवं प्रदर्श क–7/1 लगायत प्रदर्श क–7/4 पर करीब हर पृष्ठ पर ओवरराइटिंग है तथा ओवरराइटिंग पर किसी व्यक्ति के हस्ताक्षर भी मौजूद नहीं है। इस पंचायतनामा प्रपत्रों पर कटिंग के सम्बन्ध में अभियोजन द्वारा कोई स्थिति स्पष्ट नहीं की गयी है। यह उल्लेख करना महत्वपूर्ण एवं समीचीन होगा कि बचाव पक्ष की ओर से यह तर्क प्रस्तुत किया गया था कि प्रथम सूचना रिपोर्ट एण्टीटाइम्ड है तथा अभियोजन प्रपत्रों पर अपनी सुविधा को दृष्टिगत रखते हुए पंचायतनामा प्रपत्रों पर दिनांक 28.11.17 के स्थान पर 27.11.17 किया गया है ऐसी स्थिति में अभियोजन का यह दायित्व बनता था कि वह इस बिन्दु को स्पष्ट करे कि क्यों और किन परिस्थितियों में पंचायतनामा प्रपत्रों पर कटिंग की गयी तथा कटिंग किस अधिकारी/व्यक्ति द्वारा की गयी परन्तु अभियोजन की ओर से इस सम्बन्ध में कोई भी स्पष्टीकरण प्रस्तुत न करने के कारण बचाव पक्ष के तर्क को बल मिलता है।

49. यदि पंचायतनामा प्रपत्रों प्रदर्श क–7/3 का परिशीलन किया जाये तो स्पष्ट होता है कि शव विच्छेदन हेतु मृतक का शव दिनांक 27.11.17 में समय रात्रि 10.00 बजे भेज दिया गया था जो पुलिस मुख्यालय पर दिनांक 28.11.17 को समय 12.00 बजे प्राप्त हुआ जब कि प्रदर्श क–7/3 में शव प्राप्ति से मुख्यालय की दूरी मात्र 26 किलोमीटर अंकित की गयी है। इससे स्पष्ट होता है कि पुलिस मुख्यालय में मृतक का शव पहुंचने में 14 घंटे का समय लगा है। जब कि शव प्राप्ति के स्थान से मुख्यालय की दूरी मात्र 26 किलोमीटर थी। इतने बिलम्ब से मृतक का शव पहुँचना कहीं न कहीं बचाव पक्ष के इस तर्क को मजबूती प्रदान करता है कि पंचायतनामा की कार्यवाही एवं प्रथम सूचना रिपोर्ट जिस समय पर पंजीकृत किया जाना बताया जा रहा है वह उस समय में पंजीकृत न होकर बाद में कभी पूर्व का समय अंकित कर पंजीकृत हुयी है। पत्रावली पर उपलब्ध पंचायतनामा प्रदर्श क–6 की पुश्त पर नियुक्ति पंचान का प्रस्तर कार्बन द्वारा अंकित है जब कि शेष पृष्ठ मूल रूप से पैन से लिखा गया है। पृष्ठ के बीचों–बीच नियुक्ति पंचान से सम्बन्धित केवल एक प्रस्तर कार्बन से लिखे जाने के सम्बन्ध भी अभियोजन की ओर से कोइ स्पष्टीकरण प्रस्तुत नहीं किया गया है इन सब से भी पंचायतनामा की कार्यवाही एवं समय पर संदेह उत्पन्न होता है।

50. पी.डब्लू.8 मौजीलाल, सेवानिवृत्त निरीक्षक है जिसके साक्ष्य में आया है कि वह दिनांक 30.11.2017 को वह बतौर एच.एम. के पद पर थाना जसवन्तनगर जिला इटावा में तैनात था तथा उसने अपराध संख्या 879/2017 पर अन्तर्गत धारा 3/25 आर्म्स एक्ट राज्य बनाम रिंकू यादव, थाना जसवन्तनगर के विरुद्ध दर्ज किया था तथा उस अपराध का खुलासा उसने जी.डी. संख्या 37 दिनांक 30.11.17 समय 18.35 पर कम्प्यूटर क्लर्क से ही बोल–बोलकर अंकित कराया था। यह भी साक्ष्य में बताया है उसने इस जी.डी. में अभियुक्त से बरामद एक तमंचा 315 बोर, दो कारतूस जिन्दा, एक खोखा का नमूना मुहर के साथ लेकर आये थे उसका भी हवाला अंकित किया जाना कहा है उसके वादी एस.आई. शिवशंकर ही थे। मूल पत्रावली में शामिल कागज संख्या 4 क/1 लगायत 4 क/2 पर एस.एच.ओ के हस्ताक्षर है तथा कम्प्यूटर क्लर्क चन्द्रवीर सिंह के हस्ताक्षर भी है। यही चिक उसके द्वारा किता करायी गयी थी इस पर प्रदर्श क–8 डाला गया। इसी प्रकार पत्रावली में शामिल कागज संख्या 4 क/3 जी.डी. जिस पर थाने की मुहर चस्पा है, उसके भी उसके द्वारा ही बोल–बोलकर टाइप कराकर प्रिंट आउट निकलवाया था जिसे साक्षी ने साबित किया जिस पर प्रदर्श क–8 डाला गया।

51. पी.डब्लू.9 मोहनलाल, क्षेत्राधिकारी (सेवानिवृत्त) जो मुकदमा अपराध संख्या 874/2017 का विवेचक है। साक्षी द्वारा कथन किया गया है कि वह दिनांक

28.11.2017 को वतौर क्षेत्राधिकारी जसवन्तनगर, इटावा के पद पर तैनात था। उसी दिन उसे अपराध संख्या 874/2017 धारा 302, 323 भा.द.सं. व 3 (2) (5) एस.सी. एस.टी., थाना जसवन्तनगर राज्य बनाम रिंकू उर्फ बिग्रेडियर की विवेचना प्राप्त हुयी थी। इस साक्षी द्वारा नक्शा नजरी, आरोप पत्र को साबित किया है तथा अपनी प्रतिपरीक्षा में कथन किया है कि पंचायतनामा उसके दिशा निर्देश पर नहीं भरा गया था तथा न ही पंचायतनामा की कार्यवाही उसके समक्ष हुयी थी। पंचायतनामा में ओवरराइटिंग व कटिंग, पंचायतनामा करने वाले एस.आइ जयप्रकाश के द्वारा ही की गयी होगी। इस साक्षी द्वारा नक्शा नजरी प्रदर्श क–10 व आरोप पत्र कागज संख्या 449/2017 दिनाक 25.12.2017 को अपने हस्ताक्षर करने के उपरांत न्यायालय में प्रेषित किया जाना कहते हुए विधिवत साबित किया है।

52. पी.डब्लू.10 अतुल प्रधान, क्षेत्राधिकारी ने अपनी मुख्य परीक्षा में कहा है कि दिनांक 09.12.2022 को सी.ओ. जसवन्तनगर, इटावा में तैनात था उसी दिन अपराध संख्या 874/2017 धारा 302, 323 भा.दं.सं., 3 (2) (v) थाना जसवन्तनगर, राज्य बनाम रिंकू उर्फ बिग्रेडियर में मुकदमा से सम्बन्धित विधि विज्ञान प्रयोगशाला लखनऊ से रिपोर्ट उनके हस्ताक्षर सहित जिसमें 09.04.2019 की तिथि अंकित थी तथा विधि विज्ञान प्रयोशाला से सम्बन्धित रिपोर्ट विधि विज्ञान अधिकारी आग्नेयास्त्र के हस्ताक्षर, 315 बोर देशी पिस्तौल से फायरिंग से सम्बन्धित अभिमत के परिणाम उसे प्राप्त हुये थे जो मूल पत्रावली में 19 ख/2 व 28 क जिन दोनों पर 76260 एवं 123636 न0 प्रिंट है, प्राप्त हुये थे। उसने उनके परिणामों का अवलोकन किया था। अवलोकन के बाद दिनांक 09.12.2022 को उपरोक्त अपराध से सम्बन्धित ऐस.सी.डी. 1 किता करते हुये उस रिपोर्ट का विवरण अंकित किया था। जिस पर अपने हस्ताक्षर होना कहा है तथा एस.सी.डी. 1 व परिणाम पत्रावली में शामिल होना कहा है। इस साक्षी द्वारा केवल विधि विज्ञान प्रयोगशाला की आख्याओं को पूरक केस डायरी के माध्यम से न्यायालय में प्रेषित किया है।

53. पी.डब्लू.12 उपनिरीक्षक शिवशंकर सिंह को परीक्षित कराया गया है। यह साक्षी मुकदमा अपराध संख्या 879/2017 का वादी है। दिनांक 30.11.2017 को वह वहां एस. आई. रामबीर सिंह एवं हमराही कान्सटेबल विनय कुमार को साथ लेकर थाना हाजा से खाना हुआ था जिसका तस्करा उसने जी.डी. संख्या 29 पर उपरोक्त दिनांक को हवाला अंकित किया था। यह भी कहा है कि उसे बजरिये मुखविर खास ने सूचना दी कि नगला नरिया से सोमवार की शाम को जो हत्या की घटना जिसने की थी वह किताबश्री कोल्ड स्टोर के पास मौजूद है और किसी वाहन से जसवन्तनगर से भागने की फिराक है। सूचना पर पुलिस वालों ने गवाहान तैयार करने

की कोशिश की, कोई तैयार नहीं हुआ। मुखबिर खास की सूचना पर मुखबिर के इशारा करने पर व्यक्ति की पहिचान कर दबिश देकर एवं आवश्यक बल प्रयोग कर अभियुक्त को गिरफ्तार किया जाना तथा अभियुक्त पहनी पेन्ट से एक अदद तमंचा 315 बोर चालू हालत में तथा पेन्ट की जेब से एक खोखा कारतूस व 2 अदद जिंदा कारतूस 315 बोर का बरामद होना कहा है तथा दिनांक 27.11.2017 को उसने इसी तमंचा से गांव के ही एक लड़के शशी को गोली मार दिया जाना कहा है, जो मौके पर ही मर गया था। फर्द स्वयं के द्वारा लिखा जाना कहा है जिस पर प्रदर्श क–15 डाला गया। फर्द बनाने के बाद बरामद माल 313 बोर तमंचा व एक खोखा कारतूस व दो जिन्दा कारतूस, जिन्हें एक कपड़े में रख्कर सीलमुहर किया था जो उसके सामने है जिस पर सील होने के उपरांत जंग लग चुकी है, बरामदगी के समय चालू हालत में था जिस पर वस्तु प्रदर्श –1 डाला गया। कारतूस जिनपर TC–1 78–BAL/19 इटावा लिखा हुआ है व इसी प्रकार दोनों जिंदा कारतूस पर भी LC 1 व LC 2 लिखा है व 78–BAL/19 दोनों मिस कारतूसों पर लिखा हुआ है। जिन तीनों पर फोरेंसिक लेब वालों के चिट पर हस्ताक्षर हैं। जिन तीनों कारतूसों पर वस्तु प्रदर्श 2 डाला गया। इस घटना के सम्बन्ध में विवेचक ने उसका बयान अंकित किया था।

54. अभियोजन कथानक के अनुसार अभियुक्त को दिनांक 30.11.2017 में मुखविर की सूचना पर जसवन्तनगर में किताबश्री कोल्ड स्टोर के पास सैंफई को जाने वाले रास्ते पर गिरफ्तार किया गया तथा अभियोजन के अनुसार गिरफ्तारी के समय जामातलाशी पर अभियुक्त के कब्जे से एक अदद तमंचा 315 बोर चालू हालत में तथा एक कारतूस खोखा व दो अदद कारतूस जिन्दा 315 बोर जिनकी पेंदी पर 8 एम.एम. के.एफ लिखा था, बरामद किये गये। अभियोजन के अनुसार अभियुक्त के कब्जे से बरामद माल को गिरफ्तारी वाले स्थान पर ही कपड़े में रखकर सिलकर सील सर्वमुहर कर नमूना मुहर बनाया गया। अभियोजन के अनुसार अभियुक्त को दिनांक 30.11.2017 में समय करीब 5.35 शाम में गिरफ्तार किया गया। उक्त गिरफ्तारी एवं अभियुक्त के कब्जे से बरामद माल को साबित करने हेतु पी.डब्लू.12 के रूप में शिवशंकर सिंह को परीक्षित कराया गया। इस साक्षी द्वारा मुख्य परीक्षा में कथन किया गया है कि सूचना पर पुलिस वालों ने गवाहान तैयार करने की कोशिश की थी परन्तु कोइ तैयार नहीं हुआ।अभियुक्त के कब्जे से एक तमंचा चालू हालत में, एक खोखा कारतूस व दो जिन्दा कारतूस 315 बोर बरामद किये गये थे। साक्षी द्वारा गिरफ्तारी मीमो एवं बरामदगी की प्रदर्श क–15 के रूप में विधिवत साबित किया है तथा कथन किया है कि फर्द बनाने के बाद बरामद माल को कपड़े में रखकर सील मुहर किया गया था।

55. उल्लेखनीय है कि माल सील करते समय तैयार की गयी सील मुहर का कोई नमूना न्यायालय के समक्ष अभियोजन की ओर से प्रस्तुत नहीं किया गया है। जब न्यायालय के समक्ष कथित माल को खोला गया तो माल पर जो कपड़ा बंद करने हेतु इस्तेमाल किया गया था वह विधि विज्ञान प्रयोगशाला का था। उल्लेख करना महत्वपूर्ण होगा कि न्यायालय के समक्ष माल खोलते समय पी.डब्लू.12 शिव शंकर सिंह द्वारा इस्तेमाल किया गया कपड़ा भी बण्डल से नहीं निकला और न ही सील मुहर का कोई नमूना निकला। साक्षी द्वारा प्रतिपरीक्षा में यह भी कहा है कि जब अभियुक्त को गिरफ्तार किया था उसके कब्जे से कोइ रूपया पैसा बरामद नहीं हुआ था लिखा–पढ़ी में करीब पौन घंटे का समय लगा था।

56. यदि इस साक्षी के बयान की समीक्षा की जाये तो इस साक्षी द्वारा की गयी कार्यवाही पर भी विश्वास करना कठिन होता है क्योंकि स्वयं इस साक्षी के अनुसार अभियुक्त किताबश्री कोल्ड स्टोर के पास सैफई के रास्ते पर किसी वाहन के इंतजार में खड़ा था। ऐसे में यह नहीं माना जा सकता कि यदि अभियुक्त किसी वाहन के इंतजार में खड़ा था तो उसके पास से किराये हेतु कुछ पैसे भी बरामद न होते तथा यह कथानक भी विश्वसनीय प्रतीत नहीं होता है कि कोई व्यक्ति घटना कारित करने के तीन दिन बाद तक भी घटना में प्रयुक्त हथियार तथा उसमें प्रयुक्त होने वाली सामग्री को अपने साथ लेकर घूमेगा। इसके अतिरिक्त जिस स्थान से अभियुक्त को गिरफ्तार करना बताया गया है वह एक सार्वजनिक स्थान है तथा करीब 5.35 मिनट पर शाम में अभियुक्त को गिरफ्तार करना बताया गया है। यदि यह मान भी लिया जाये कि पुलिस द्वारा गिरफ्तारी से पूर्व साक्षीगण जुटाने का प्रयास किया गया होगा तथा कोई भी व्यक्ति इस प्रयोजन हेतु तैयार नहीं हुआ होगा तो भी पुलिस का यह दायित्व था कि वह उन व्यक्तियों के नाम व पते नोट करे। परन्तु पुलिस द्वारा ऐसा भी कोई प्रयास नहीं किया गया। इसके अतिरिक्त यह उल्लेख करना महत्वपूर्ण होगा कि साक्षी द्वारा अभियुक्त की गिरफ्तारी की दिनांक पर समय 4.40 पी.एम. पर थाने से निकलना तथा उसके एक घन्टे बाद मुखविर द्वारा अभियुक्त को सूचना दिया जाना बताया गया है इसका तात्पर्य यह है कि पुलिस बल को अभियुक्त के सम्बन्ध में सूचना दिनांक 30.11.17 में समय 5.40 पी.एम. पर प्राप्त हुयी होगी और सूचना प्राप्त होने के उपरांत होने के उपरांत कुछ 10–15 मिनट भी अभियुक्त को गिरफ्तार करने में लगे होंगे। यदि इस परिस्थिति को दृष्टिगत रखा जाये तो अभियुक्त की गिरफ्तारी समय करीब 06.00 बजे के आस–पास होनी चाहिये थी, परन्तु पुलिस बल द्वारा अभियुक्त की गिरफ्तारी 5:35 मिनट पर दर्शित की गई है। इस वक्त तक तो स्वयं इस साक्षी के

बयान के अनुसार उन्हें अभियुक्त की Location के सम्बन्ध में सूचना भी प्राप्त नहीं हुई थी। इससे भी अभियुक्त की गिरफ्तारी के समय पर प्रश्नचिन्ह लगता है।

57. पत्रावली पर विधि विज्ञान प्रयोगशाला, लखनऊ उत्तर प्रदेश की रिपोर्ट दिनांकित 09.04.2019 प्रदर्श क–16 एवं रिपोर्ट दिनांकि 27.07.22 मूल रूप से उपलब्ध है। शव विच्छेदन के समय मृतक के शरीर से एक बुलेट बरामद की गयी थी। उक्त बुलेट तथा अभियुक्त के कब्जे से बरामद एवं कारतूसों को विधि विज्ञान प्रयोगशाला परीक्षण हेतु भेजा गया था। मृतक के कपड़ों पर परीक्षण के समय मानव रक्त पाया जाना आख्या में अंकित है परन्तु आख्या से यह कहीं भी स्पष्ट नहीं होता है कि उक्त मानवरक्त मृतक शिशुपाल का था। विधि विज्ञान प्रयोगशाला लखनऊ उत्तर प्रदेश की आख्या दिनांकित 27..07.22 के अनुसार जो बुलेट मृतक के शरीर से बरामद की गयी थी उसे परीक्षण के दौरान EB–1 तथा खोखा कारतूस को EC–1, मिस फायर कारतूस को LC–1 तथा जिन्दा कारतूस को LC–2 तथा तमंचे को 1/22 के रूप में चिन्हित किया गया था। विधि विज्ञान प्रयोगशाला लखनऊ उत्तर प्रदेश की आख्या दिनांकित 27.07.22 के अभिमत संख्या–3 में यह अंकित है कि– "विवादित बुलेट चिन्हित EB1 पर उपयुक्त 315 बोर देशी पिस्तौल चिन्हित 1/22 से तुलना करके निश्चित अभिमत निर्धारित करने हेतु व्यक्तिगत विशेषताओं का अभाव है।"

58. विधि विज्ञान प्रयोगशाला की उक्त आख्या से यह सिद्व नहीं होता है कि मृतक के शरीर से जो बुलेट बरामद की गयी थी वह अभियुक्त से बरामद तमंचे से चलायी गयी थी। यह सही है कि उक्त रिपोर्ट में विवादित बुलेट EB1 को 315 बोर की चली हुयी बुलेट होना अंकित किया है परन्तु इससे यह साबित नहीं होता है कि बुलेट अभियुक्त के कब्जे से बरामद देशी पिस्तौल से चलायी गयी थी। इसके अतिरिक्त अभियोजन द्वारा वह नमूना मुहर भी न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत नहीं किया गया जिस नमूना मुहर के माध्यम से जांच हेतु बरामद किया गया माल विधि विज्ञान प्रयोगशाला भेजा जाना बताया गया है।

59. यह उल्लेख करना भी महत्वपूर्ण है कि जब न्यायालय के समक्ष विधि विज्ञान प्रयोगशाला से प्राप्त हुआ माल साक्ष्य के समय खोला गया उसमें से भी विवेचक द्वारा इस्तेमाल किया गया कपड़ा अथवा सील नहीं पायी गयी थी। पत्रावली पर पूरक केस डायरी का पर्चा नं.2 दिनांकित 08.01.2018 उपलब्ध है। उक्त केस डायरी के परिशीलन से स्पष्ट होता है कि अभियुक्त के कब्जे से बरामद अभिकथित माल कां.तेज सिंह के माध्यम से विधि विज्ञान प्रयोगशाला, लखनऊ दिनांक 08.01.2018 में भेजा गया था। विधि विज्ञान प्रयोगशाला, लखनऊ उत्तर प्रदेश की

आख्या दिनांकित 09.04.2019 प्रदर्श क–16 से स्पष्ट होता है कि उक्त माल प्रयोगशाला में दिनांक 12.10.2018 को विशेष वाहक द्वारा प्राप्त हुआ। अभियोजन के अनुसार अभियुक्त के कब्जे से घटना में प्रयुक्त तमंचा एवं कारतूस दिनांक 30.11.2017 में बरामद किये गये थे तथा उन्हें परीक्षण हेतु विधि विज्ञान प्रयोगशाला में दिनांक 08.01.2018 में विशेष वाहक द्वारा भेजा गया। विशेष वाहक द्वारा भेजे जाने के बाबजूद भी माल विधि विज्ञान प्रयोगशाला में करीब दस माह बाद दिनांक 12.10.2018 में प्राप्त कराया गया है। इतने विलम्ब से विधि विज्ञान प्रयोगशाला में माल प्राप्त कराये जाने के सम्बन्ध में अभियोजन की ओर से कोई स्पष्टीकरण प्रस्तुत नहीं किया गया है तथा न ही अभियोजन की ओर से यह साबित किया गया है कि विधि विज्ञान प्रयोगशाला भेजे जाने तक माल पर वही मुहर अंकित थी जो मुहर माल को सील करते समय इस्तेमाल की गयी थी। यह अभियोजन का दायित्व बनता था कि वह यह साबित करे कि विधि विज्ञान प्रयोगशाला में उसी सील बन्द माल की जांच की गयी थी जो विधि विज्ञान प्रयोगशाला भेजा गया था। विधि निर्णय **विजय पाण्डेय बनाम उत्तर प्रदेश राज्य (2019)3 एस.सी.सी. 778** में माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा यह अभिनिर्धारित किया गया है कि केवल एफ..एस.एल. रिपोर्ट ही पर्याप्त ही नहीं है यदि अभियोजन यह साबित करने में असफल रहता है कि जो सील बन्द माल भेजा गया था उसी की जांच की गयी थी तब एफ.एस.एल.रिपोर्ट का साक्षिक मूल्य समाप्त हो जाता है। उल्लेखनीय है कि अभियोजन की ओर से पत्रावली पर कोइ भी नमूना मुहर उपलब्ध नहीं करायी गयी है। विधि विज्ञान प्रयोगशाला की आख्या से स्पष्ट होता है कि मामले से सम्बन्धित माल प्रयोगशाला में दिनांक 12.10.2018 को प्राप्त हुआ था जब कि पूरक केस डायरी के पर्चा सं.2 के अनुसार उक्त माल दिनांक 08.01.2018 को विशेष वाहक द्वारा भेजा गया था। अभियोजन का यह दायित्व बनता था माल भेजे जाने की दिनांक से विधि विज्ञान प्रयोगशाला, लखनऊ में माल प्राप्त कराये जाने तक माल पर प्रयुक्त सील की अखण्डता को साबित करता, परन्तु अभियोजन की ओर से ऐसा कोई साक्ष्य उपलब्ध नहीं कराया गया जिससे यह स्पष्ट होता हो कि इतनी लम्बी अवधि के उपरांत भी सील अखण्डित थी।

60. पी.डब्लू.11 उपनिरीक्षक सुरजीत सिंह को परीक्षित कराया है। यह सा क्षी मुकदमा अपराध संख्या 879/2017 का विवेचक है जिसके द्वारा नक्शा नजरी प्रदर्श क–12, जिला मजिस्ट्रेट, इटावा का आदेश प्रदर्श क–13 व आरोप पत्र प्रदर्श क–14 को विधिवत साबित किया जाना कहते हुए विभिन्न दिनांक पर विवेचना में की गयी कार्यवाहियों को अंकित किया है।

61. प्रस्तुत उपरोक्त विवेचन से यह साबित हुआ है कि अभियोजन पक्ष की ओर से परीक्षित कराये गये तथ्य के साक्षीगण घटना के चक्षुदर्शी साक्षी नहीं है। पी.डब्लू.1 द्वारा यह कथन किया है कि जब वह मौके पर पहुँचा था तब अभियुक्त वहां से भाग चुका था तथा साक्षी नेत्रपाल एवं रामकुमार उसके पहुँचने के बाद मौके पर पहुँचे थे। अभियोजन पी.डब्लू.2 की उपस्थिति भी घटनास्थल पर संदेह से परे साबित नहीं कर पाया है। चबूतरे पर उपस्थित होने के बिन्दु पर पी.डब्लू.2 के बयान में महत्वपूर्ण विरोधाभास है। इसके अतिरिक्त पी.डब्लू.3 द्वारा तो मुख्य परीक्षा में यह कथन किया है कि उसे मृतक की हत्या के विषय में फोन पर सूचना मिली थी जिस पर वह घटनास्थल पर पहुँचा था और जब वह घटनास्थल पर पहुँचा था तो उसका शव गांव के बाहर पड़ा हुआ था तथा पुलिस कार्यवाही चल रही थी। पी.डब्लू.1 द्वारा अपने बयान में यह भी कहा है कि तहरीर लेखक रामऔतार 9.00 बजे उनके गांव पहुँचा था तथा उसके द्वारा बोल–बोलकर तहरीर लिखायी गयी थी। पी.डब्लू.1 द्वारा यह भी कहा गया कि तहरीर थाने पर तैयार की गयी। अभियोजन की ओर से तहरीर लेखक रामऔतार को परीक्षित नहीं कराया गया है। ऐसी परिस्थिति में जब कि स्वयं अभियेाजन द्वारा तहरीर लेखक का वादी के गांव में घटना की दिनांक पर रात्रि 9.00 बजे आना बताया है तो घटना की दिनांक पर समय करीब 08.05 मिनट पर प्रथम सूचना रिपोर्ट पंजीकृत होना स्वयं अभियोजन कथानक पर संदेह उत्पन्न करता है। इसके अतिरिक्त पंचायतनामा के प्रत्येक प्रपत्र पर ओवरराइटिंग की गयी है जिसका भी कोई स्पष्टीकरण अभियोजन की ओर से प्रस्तुत नहीं किया गया है ओवरराइटिंग में दिनांक 28.11.17 को काटकर दिनांक 27.11.17 किया गया है। अभियोजन द्वारा यह भी साबित नहीं किया है कि उपरोक्त अभियोजन प्रपत्रों पर किस व्यक्ति द्वारा अथवा किन परिस्थितियों में ओवरराइटिंग एवं कटिंग की गयी है। इससे बचाव पक्ष के इस तर्क को बल मिलता है कि प्रथम सूचना रिपोर्ट एण्टीटाइम्ड है। अभियुक्त की अभिकथित गिरफ्तारी का कोई स्वतंत्र चक्षुदर्शी साक्षी परीक्षित नहीं कराया गया है। जब कि कथित गिरफ्तारी एवं बरामदगी सार्वजनिक स्थान पर समय करीब सायं 5.35 पी.एम.पर की गयी है। अभियोजन द्वारा विधि विज्ञान प्रयोगशाला में बरामद माल को भेजे जाने हेतु जिस सील मुहर का प्रयोग किया गया उसका नमूना मुहर भी न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत नहीं किया गया तथा न ही नमूना मोहर प्रस्तुत न करने का कोइ कारण स्पष्ट किया गया है। अभियोजन यह साबित करने में भी असफल रहा है कि पुलिस द्वारा माल विधि विज्ञान प्रयोगशाला में भेजे जाने के समय से विधि विज्ञान प्रयोगशाला प्राप्त कराये जाने समय तक उन पर अंकित सील अखण्डित थी और यदि पुलिस द्वारा 08.01.2018 में परीक्षण हेतु विशेष वाहक द्वारा माल भेजा गया था तो

उक्त माल करीब दस माह बाद विधि विज्ञान प्रयोगशाला में इतने विलम्ब से क्यों प्राप्त हुआ इसका भी कोई स्पष्टीकरण अभियोजन की ओर से प्रस्तुत नहीं किया गया है इसके अतिरिक्त विधि विज्ञान प्रयोगशाला की रिपोर्ट से यह भी साबित नहीं होता है कि मृतक के शरीर से बरामद की गयी बुलेट अभियुक्त के कब्जे से बरामद किये गये तमंचे से ही चलायी गयी थी।

62. माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा **राजीव सिंह बनाम स्टेट आफ बिहार 2016 (93)ए.सी.सी.पेज 525** में यह अवधारित किया गया कि–''कोई आरोप तभी साबित कहा जा सकता है जब विधिक दोष सिद्धि हेतु प्रत्यक्ष व निश्चित साक्ष्य उपलब्ध हो। किसी व्यक्ति को शुद्ध नैतिक सिद्ध दोष के लिए दोषी नहीं किया जा सकता है। अभियोजन पक्ष को संदेह से परे आरोप साबित करना होता है। निर्दोषता की अवधारणा न केवल व्यक्ति विशेष को सुरक्षित करती है बल्कि विधिक निकाय की सुरक्षा और उसमें जनसामान्य के विश्वास को भी बनाये रखती है।'' माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा **विजय शंकर बनाम हरियाणा राज्य 2016 (93)ए.सी.सी.पेज 463 में यह अवधारित किया गया कि–''** परिस्थितियां जिनसे अभियुक्त के दोषी होने का संकेत मिलता हो,पूरी तरह से और स्पष्ट रूप से साबित होना चाहिए।''

63. उपरोक्त विश्लेषण के पश्चात न्यायालय इस निष्कर्ष पर पहुंचता है कि अभियोजन द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य के आधार पर अभियुक्त रिंकू उर्फ बिग्रेडियर यादव के विरुद्ध आरोपित आरोप धारा–302, 323 भा.द.सं. व धारा 3(2)v अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति(अत्याचार निवारण)अधिनियम व धारा 3/25 आयुध अधिनियम युक्तियुक्त संदेह से परे साबित नहीं होता है। तदनुसार अभियुक्त रिंकू उर्फ बिग्रेडियर यादव संदेह का लाभ पाते हुए दोषमुक्त किये जाने योग्य है।

आदेश

विशेष सत्र वाद संख्या 09/2018 में अभियुक्त रिंकू उर्फ बिग्रेडियर यादव को संदेह के आधार पर आरोपित आरोप धारा 302,323 भा.द.सं.व धारा 3(2)v अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति(अत्याचार निवारण)अधिनियम से दोषमुक्त किया जाता है।

विशेष सत्र वाद संख्या 08/2018 में अभियुक्त रिंकू उर्फ बिग्रेडियर यादव को संदेह के आधार पर आरोपित आरोप धारा 3/25 आयुध अधिनियम से दोषमुक्त किया जाता है।

वाद म्याद अपील बरामदशुदा माल नियमानुसार निस्तारित किया जायेगा।

अभियुक्त जेल में निरुद्ध है। अतः जेल अधीक्षक,केन्द्रीय कारागार, इटावा को आदेशित किया जाता है कि यदि अभियुक्त रिंकू उर्फ बिग्रेडियर यादव अन्य किसी मामले में वांछित न हो तो उसे अविलम्ब रिहा किया जाये। अभियुक्त का नियमानुसार रिहाई परवाना जारी हो।

अभियुक्त धारा–437 ए दण्ड प्रक्रिया संहिता (वर्तमान में धारा 481 भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता) के अनुपालन में अंकन 20,000/– रुपये का निजी बंधपत्र एवं इतनी ही धनराशि की एक प्रतिभू दाखिल करे।

इस निर्णय की एक प्रति विशेष सत्र वाद संख्या–08 /2018 की पत्रावली पर रखी जाये।

इस आदेश की एक प्रति जिला मजिस्ट्रेट, इटावा को प्रेषित की जाये।

दिनांक 20.04.2026 **(संजय कुमार–IV)**

विशेष न्यायाधीश एससी.एसटी(पी0 ए 0)एक्ट/
अपर सत्र न्यायाधीश कोर्ट संख्या–2, इटावा।
JO Code No. UP 6462

निर्णय आज मेरे द्वारा हस्ताक्षरित व दिनांकित करके खुले न्यायालय में उदघोषित किया गया।

दिनांक 20.04.2026 **(संजय कुमार–IV)**

विशेष न्यायाधीश एससी.एसटी(पी0 ए 0)एक्ट/
अपर सत्र न्यायाधीश कोर्ट संख्या–2, इटावा।
JO Code No. UP 6462

परिशिष्ट–"अ"

माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा दाण्डिक अपील संख्या (एस)2973/2023 मनोजभाई जेठा भाई परमार (रोहित) बनाम गुजरात राज्य में पारित निर्णय दिनांकित 15.12.2025 में जारी दिशा निर्देशों की अनुपालना।

जांचे गये गवाहों की सूची

अभियोजन गवाह संख्या	अभियोजन गवाह का नाम	विवरण
पी.डब्लू.1	ब्रजमोहन	वादी मुकदमा
पी.डब्लू.2	श्रीमती राजकुमारी	मृतक की मां
पी.डब्लू.3	रामकुमार	मृतक का बहनोई
पी.डब्लू.4	कां.विनय कुमार	एफ.आई.आर.लेखक
पी.डब्लू.5	डा.आकाश श्रीवास्तव	चिकित्सक साक्षी
पी.डब्लू.6	डा.विकास सचान	मृतक का शव विच्छेदन करने वाले चिकित्सक
पी.डब्लू.7	उपनिरीक्षक जयप्रकाश सिंह	पंचायतनामा गवाह
पी.डब्लू.8	मौजीलाल	चिक एफ.आई.आर. लेखक अ.सं.879/17
पी.डब्लू.9	सेवानिवृत्त क्षेत्राधिकारी मोहनलाल	विवेचक
पी.डब्लू.10	अतुल प्रधान	विधि विज्ञान प्रयोगशाला
पी.डब्लू.11	उपनिरीक्षक सुरजीत सिंह	विवेचक, मु.अ.सं.879/17
पी.डब्लू.12	निरीक्षक शिवशंकर सिंह	वादी मुकदमा अ.सं.879/17

प्रदर्शित दस्तावेजों की सूची

प्रदर्श नम्बर	प्रदर्श का विवरण	किसके द्वारा सत्यापित /साबित किया।
प्रदर्श क–1	तहरीर	वादी मुकदमा पी.डब्लू.1
प्रदर्श क–2	चिक प्रथम सूचना रिपोर्ट अ.–सं 874/17	पी.डब्लू.4 कां.विनय कुमार
प्रदर्श क–3	जी.डी.	पी.डब्लू.4 कां.विनय कुमार

प्रदर्श क–4	आहत आख्या ब्रजमोहन	पी.डब्लू.5 डा.आकाश श्रीवास्तव
प्रदर्श क–5	शव विच्छेदन आख्या शिशुपाल	पी.डब्लू.6 डा.विकास सचान
प्रदर्श क–6	पंचायतनामा	पी.डब्लू.7 उपनिरीक्षक जय प्रकाश सिंह
प्रदर्श क–7	प्रतिसार निरीक्षक, पुलिस लाइन इटावा को शव विच्छेदन विषयक प्रार्थना पत्र	पी.डब्लू.7 उपनिरीक्षक जय प्रकाश सिंह
प्रदर्श क–7/1	मुख्य चिकित्साधिकारी, इटावा को शवविच्छेदन विषयक प्रार्थना पत्र	पी.डब्लू.7 उपनिरीक्षक जय प्रकाश सिंह
प्रदर्श क–7/2	आरक्षक प्रपत्र (पुलिस फार्म)सं 33	पी.डब्लू.7 उपनिरीक्षक जय प्रकाश सिंह
प्रदर्श क–7/3	चालान शव विच्छेदन हेतु प्रपत्र	पी.डब्लू.7 उपनिरीक्षक जय प्रकाश सिंह
प्रदर्श क–7/4	चालान नाश	पी.डब्लू.7 उपनिरीक्षक जय प्रकाश सिंह
प्रदर्श क–8	चिक प्रथम सूचना रिपोर्ट सम्बन्धित अ.सं. 879/17	पी.डब्लू.8 सेवानिवृत्त निरीक्षक मौजीलाल
प्रदर्श क–9	जी.डी.सं.37	पी.डब्लू.8 सेवानिवृत्त निरीक्षक मौजीलाल
प्रदर्श क–10	नक्शा नजरी सम्बन्धित अ.सं.874/17	पी.डब्लू.9 सेवानिवृत्त क्षेत्राधिकारी मोहनलाल
प्रदर्श क–11	आरोप पत्र	पी.डब्लू.9 सेवानिवृत्त क्षेत्राधिकारी मोहनलाल
प्रदर्श क–12	नक्शा नजरी सम्बन्धित अ.सं. 879/17	पी.डब्लू.11 उपनिरीक्षक सुरजीत सिंह
प्रदर्श क–13	जिला मजिस्ट्रेट, इटावा का आदेश दिनांकित 06.01.18 अभियोजन स्वीकृति	पी.डब्लू.11 उपनिरीक्षक सुरजीत सिंह
प्रदर्श क–14	आरोप पत्र सं.7/18	पी.डब्लू.11 उपनिरीक्षक सुरजीत सिंह
प्रदर्श क–15	फर्द बरामदगी	निरीक्षक शिवशंकर सिंह पी.डब्लू.12

भौतिक वस्तुओं/मुद्देमाल के लिए नमूना चार्ट

भौतिक वस्तु नं–बर	प्रदर्शनी का विवरण	किसने साबित किया/किसने सत्यापित किया
वस्तु प्रदर्श –1	बरामद तमंचा	पी.डब्लू.12
वस्तु प्रदर्श–2	पी.डब्लू.12 के बयान अनुसार तीन अदद कारतूस	पी.डब्लू.12

दिनांक 20.04.2026

(संजय कुमार–IV)
विशेष न्यायाधीश एससी.एसटी(पी0 ए 0)एक्ट/
अपर सत्र न्यायाधीश कोर्ट संख्या–2, इटावा।
JO Code No. UP 6462